खण्ड-197, अंक-3
बुधवार, 5 भाद्रपद, शक संवत् 1880
(27 अगस्त, 1958 ई0)

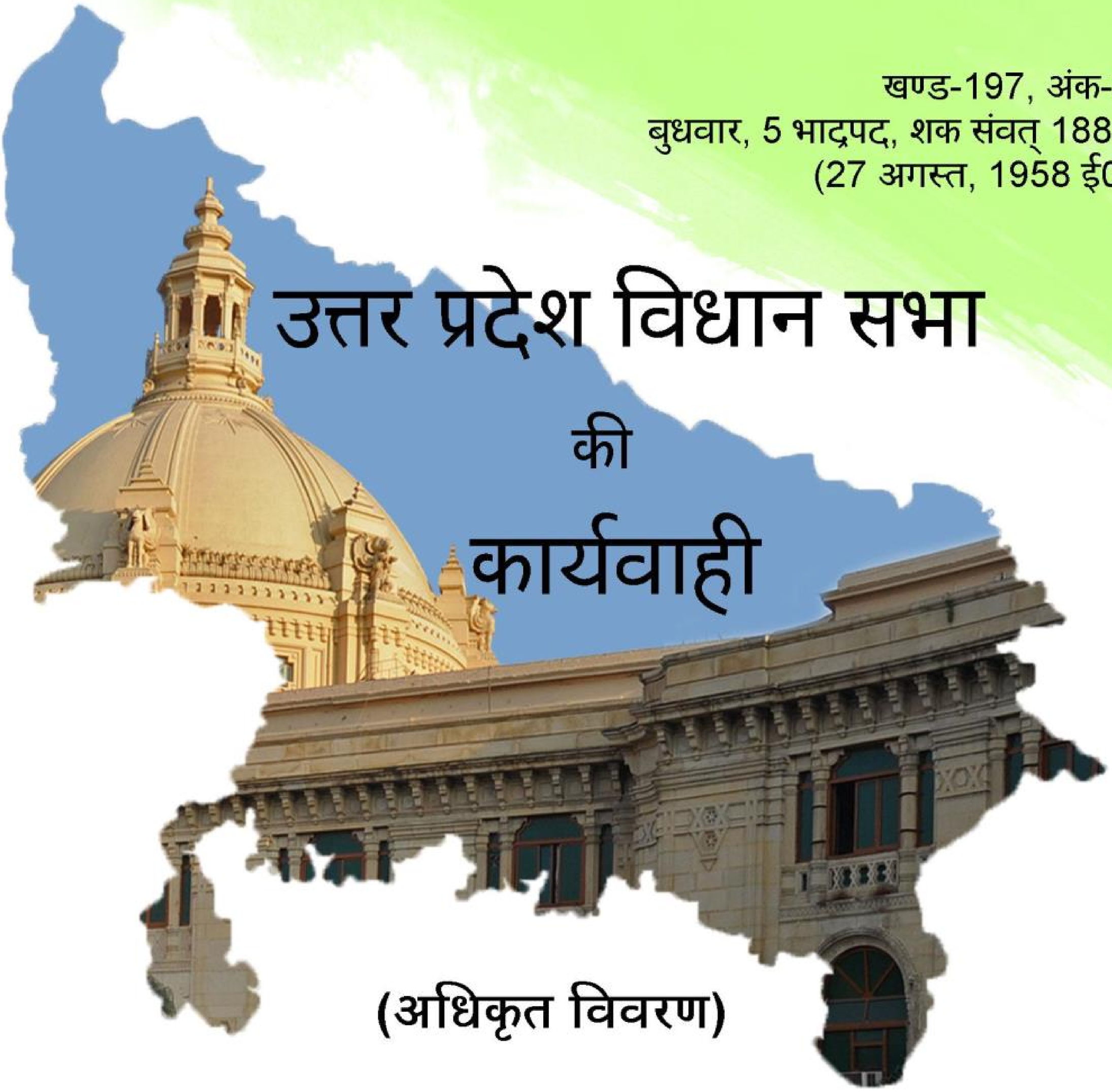

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 197 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २७ अगस्त, १९५८

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

उपस्थित सदस्य—३६४

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुलरऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अली जर्रार जाफरी, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
किशन सिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवाल सिंह, भदौरिया, श्री
खजान सिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री

गयाबख्श सिंह, श्री
गयूरअली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रासाद सिंह, श्री
गेंदा देवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह, नेगी, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमुनासिंह श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह, आर्य श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन, वर्मा श्री
प्रतापबहादुर सिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाश सिंह, श्री

प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसन्तलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बेजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूदअली खां, श्री (रामपुर)
महमूदअली खां श्री (सहारनपुर)
महमूदहुसैन खां श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमन सिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसेन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुर सिंह, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांत सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह श्री
राजाराम शर्मा श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री

रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमूर्ति सिंह, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवती देवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती

सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सूरतचन्द रमोला, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २७ अगस्त, १९५८

तारांकित प्रश्न

गोरखपुर जिले में समाज-कल्याण विभाग के अन्तर्गत कार्य

*१—श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले में अब तक समाज-कल्याण विभाग द्वारा तहसीलवार कौन-कौन कार्य और कहां-कहां हुये ?

श्रम मंत्री (आचार्य जुगल किशोर)—समाज कल्याण विभाग का कोई कार्य तहसीलवार नहीं होता है। गोरखपुर जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २५८ पर।)

*२—श्री अमरनाथ (अनुपस्थित)—क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में १९५६-५७ व १९५७-५८ में कल्याण विस्तार योजनाएं कहां-कहां खोली गईं ?

आचार्य जुगल किशोर—गोरखपुर जिले में कल्याण विस्तार योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित ५ केन्द्र जनवरी, १९५७ में खोले गये थे, (१) खोपापार, (२) ऊंचागांव, (३) सरयां, (४) चन्दौली तथा (५) नवली। सरयां का केन्द्र अब बन्द कर दिया गया है।

*३—श्री अमरनाथ (अनुपस्थित)—क्या श्रम-मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले की प्रत्येक तहसील में कहां-कहां महिला मंगल केन्द्र हैं ?

आचार्य जुगल किशोर—गोरखपुर जिले में निम्नलिखित स्थानों में महिला मंगल केन्द्र हैं—

केन्द्र का नाम	तहसील का नाम	केन्द्र का नाम	तहसील का नाम
(१) गंगा टोला ..	सदर	(७) बिसुनपुर	बांसगांव
(२) गुलरिया ..	,,	(८) देवरार खुर्द	,,
(३) बालापार ..	,,		
(४) सुमेरवढ़ ..	महाराजगंज	(९) बांसगांव	,,
(५) परतावाल बाजार ..	,,	(१०) हरबंसपुर	आनन्दनगर फरेंदा
(६) बैकुन्ठपुर ..	,,		

अंधों की पढ़ाई पर व्यय

*४—श्री गनेशीलाल (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में अंधों के पढ़ने के लिये कितने स्कूल हैं ?

आचार्य जुगल किशोर—उत्तर प्रदेश में अंधों के पढ़ने के लिये कुल १४ स्कूल हैं।

*५—श्री गनेशीलाल चौधरी (अनुपस्थित)—इन पर सरकार का कितना धन व्यय होता है ?

आचार्य जुगल किशोर—१९५७-५८ में गैर सरकारी अन्ध विद्यालयों पर १५,५६८ रुपये तथा सरकारी विद्यालयों पर देहरादून स्थित भारत सरकार द्वारा चालित संस्था को छोड़ कर, ५०,९६५ रुपये व्यय हुये थे।

कुमायूं कमिश्नरी में क्षतिग्रस्त फसल संबंधी प्रतिवेदनों के संबंध में जानकारी

*६—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार के पास प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के जिलाधीशों से नियमानुसार उपरोक्त जिलों में फसल के अत्यन्त खराब होने तथा अभाव की स्थिति होने के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट आई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रिपोर्टों की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

वित्त मंत्री (श्री चरणसिंह)—प्रश्न का तात्पर्य कुमायूं कमिश्नरी के जिलों में १३६५ फसली की रबी की फसल की क्षति से प्रतीत होता है। इन जिलों में रबी की मालगुजारी के छूट के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त नहीं हुये हैं, न फसल के अत्यन्त खराब होने तथा अभाव की स्थिति होने के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट आई है, अतएव किसी रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने का प्रश्न पैदा नहीं होता है।

*७—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि उपरोक्त रिपोर्टों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री चरणसिंह—प्रश्न पैदा नहीं होता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि अभी कुछ दिन पहले माननीय माल मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में बतलाया था कि ६ आने से लेकर १० आने तक बहुत से गांवों में फसल खराब हुई है ?

श्री चरणसिंह—जहां तक मुझे याद पड़ता है मैंने १० आने नहीं कहा था बल्कि २ आने से ६ आने कहा था।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मंत्री जी के पास कोई रिपोर्ट आलू वगैरह की फसल विनष्ट हो जाने के सम्बन्ध में आई है ?

श्री चरणसिंह—ऐसी कोई रिपोर्ट सरकार के पास नहीं आई है, इतने नुकसान की कि जिसमें मालगुजारी की माफी का सवाल उठता हो। वैसे बोर्ड के पास २०० रुपये की मालगुजारी की माफी के लिये एक पट्टी से जरूर सिपारिश आई है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मालगुजारी की छूट के अलावा और कोई रिपोर्ट अभावग्रस्त क्षेत्रों से फसल खराब होने की आई है ?

श्री चरणसिंह—मैंने कहा कि फसल के खराब होने के सिलसिले में जिसमें मालगुजारी की माफी का सवाल हो, वह रिपोर्ट आती है; वैसे जिसका वह जिक्र कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट सब जिलों से मेरे पास आई थी और जो जरूरी बातें थीं वह मैंने माननीय मित्र को सुना दी थीं।

विकास ऋण लेने में सरकारी अफसरों द्वारा दबाव डालने की शिकायत

*८—श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेशीय Development Loan लेने में सरकारी अफसरों द्वारा दबाव डालने की शिकायतें सरकार के पास प्राप्त हुई हैं ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं, सरकार के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है।

*९—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—[सदस्य की प्रार्थना पर ३ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*१०—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—[हटा दिया गया।]

*११—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर ३ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*१२—श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—[१० सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*१३—श्री ब्रजनारायण तिवारी (अनुपस्थित)—[प्रश्न संख्या १२ में सम्मिलित कर दिया गया।]

अन्न-संकट-ग्रस्त क्षेत्रों के विद्यार्थियों की फीस माफ करने की प्रार्थना

*१४—श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या सरकार प्रदेश के अन्न संकटग्रस्त क्षेत्र, विशेषतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों की इस वर्ष सब प्रकार की फीस माफी पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह—इस वर्ष अभावग्रस्त क्षेत्र के छात्रों की फीस माफ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय—क्या मंत्री जी को मालूम है कि इस साल संकट पिछले साल से अधिक है ?

श्री चरणसिंह—फीस माफी को गवर्नमेन्ट ऐसा मेजर नहीं समझती है जिसे रिलीफ मेजर कहा जा सके। अगर कहा जा सकता हो तो कई साल से सारे सूबे में नाफिज होना चाहिये था लेकिन इतने गवर्नमेन्ट के रिसोर्सेज नहीं हैं।

श्री गौरीशंकर राय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अगर यह रिलीफ मेजर नहीं है तो सरकार ने किस सिलसिले में फीस माफी की सुविधा दी थी ?

श्री चरणसिंह—गवर्नमेन्ट की मंशा यह है कि जितने लोगों की सेवा हो सके उतनी कर दी जाय और गांव-गांव में अस्पताल, स्कूल और कालेज खोल दिये जायं। और इसके लिये कोशिश की जाती है, लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो जिस उदारता से काम हो रहा है उससे हाथ खींचना पड़ेगा।

श्री गौरीशंकर राय—क्या सरकार इस साल के संकट की गुरुता को देखते हुये अपनी मंशा कायम रखेगी और विद्यार्थियों की फीस माफी पर विचार करेगी ?

श्री चरणसिंह—मैं जवाब दे चुका हूं। पिछले साल जिलों पर जितना रुपया खर्च किया था अगर उसका हिसाब लगाया जाय तो प्रत्येक जिले पर करीब ४ लाख रुपया पड़ता है। इससे सब जिलों के लिये करोड़ों रुपया चाहिये ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अभावग्रस्त क्षेत्र की परिभाषा सरकार के यहां क्या है ?

श्री अध्यक्ष—इसका तो कई दफा जिक्र हो चुका है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी प्रदेश के बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों की दशा को देखते हुये बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों की फीस माफ करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब दिया जा चुका है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में शिक्षा विभाग से भी राय ले ली है कि इस वर्ष फीस माफी की आवश्यकता है या नहीं ?

श्री चरणसिंह—अभावग्रस्त इलाके के नाम पर या फसल में माफी के नाम पर, नुकसान हो जाने के नाम पर जो घाटे का सवाल है उसका सम्बन्ध केवल रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट से है। बाकी शिक्षा विभाग कोशिश कर ही रहा है कि अगर स्टेट की आमदनी बढ़ जाय तो हाई स्कूल तक फीस माफ कर दें और छठे तक माफ कर चुके हैं।

देवरिया जिले की पडरौना तहसील में इस्तीफा वापस लेने वाले पटवारी

*१५—श्री ब्रजनारायण तिवारी (अनुपस्थित)—क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील पडरौना, जिला देवरिया के उन पटवारियों की संख्या क्या है जिन्होंने समय के अन्दर अपने त्याग-पत्र वापस ले लिये और उनको अभी तक पुनः नौकरी नहीं दी गई है ?

श्री चरणसिंह—शून्य।

*१६—श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—[२ सितम्बर, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या २५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१७—श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—[१० सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*१८—श्री मदन पांडेय—[हटा दिया गया।]

*१९—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—[१० सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

मोहकमपुर टी इस्टेट कम्पनी, देहरादून के मजदूरों को वेतन न मिलने की शिकायत

*२०—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मोहकमपुर टी इस्टेट कम्पनी, देहरादून के मजदूरों को पिछले ६ माह से वेतन नहीं मिला ?

श्रम मन्त्री के सभा सचिव (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—जी नहीं। केवल जून व जुलाई, १९५८ का वेतन शेष है।

*२१—श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या यह सच है कि १ मजदूर तथा ५ बच्चों की भूख से मृत्यु हो गई है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी नहीं।

*२२—श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार को यह विदित है कि टी इस्टेट कम्पनी के मजदूरों को वेतन न मिलने के विरोध में वहां के मजदूरों ने हड़ताल कर रखी है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी नहीं।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह जो जून और जुलाई का वेतन शेष है, इससे पहले का वेतन किस तारीख को बटा और कितने दिन का बटा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इस टी स्टेट में सितम्बर, १९५७ से वेतन बकाया का झगड़ा चल रहा था। उस झगड़े को जब ६ महीने के करीब हो गये तो ६ महीने की अवधि के अन्दर मालिक और मजदूरों में सरकार ने कोशिश करके समझौता कराया और उसके बाद पैसा दिला दिया गया। जून और जुलाई का पैसा इस वक्त बाकी है और कोई पैसा ऐसा नहीं है जो पीछे वाला बाकी हो।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो भी ६ माह के वेतन का झगड़ा चल रहा है उसका पूरा वेतन मजदूरों को दिलाया गया या समझौता करके आधा वेतन दिलाया गया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—१८ मार्च, ५८ तक जितना भी पैसा बकाया था उस वक्त तक उनका सब दिला दिया गया।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या माननीय श्रम मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जून और जुलाई का जो श्रमिकों का वेतन बाकी है उसको पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट के अनुसार अब तक क्यों नहीं अदा कराया गया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—सरकार के सामने यह प्रश्न विचाराधीन है कि चाय बागानों पर पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट लगता है या नहीं; यह हमने कानूनी सलाहकारों से पूछा है और ज्योंही वह फैसला देंगे उसके मुताबिक हम कदम उठायेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि इस समय चाय बागानों के वेजेज के पेमेंट के सम्बन्ध में कौन सा ऐक्ट लगता है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—प्रश्न स्पष्ट तो नहीं है क्योंकि वेजेज के पेमेंट का प्रश्न नहीं है। मिनिमम वेजेज ऐक्ट के अनुसार चाय बागानों के श्रमिकों का जो वेतन है वह निश्चित किया गया है। वसूल करने का प्रश्न बड़ा टेढ़ा है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या माननीय श्रम मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि टी स्टेट के मजदूरों का कुल कितना रुपया बकाया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---२ महीने का वेतन है। वह कितना होता है यह मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन ८८ के करीब मजदूर हैं। लाखों में नहीं होगा, हजारों में भी होना मुश्किल है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या सरकार बतायेगी कि मजदूरों के वेतन की वसूली का जो प्रश्न टेढ़ा है उसे सीधा करने के उपायों पर वह विचार कर रही है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---यह जानकर कि पालीवाल जी का ऐसा प्रश्न उठेगा, पहले से समझकर सरकार ने हिन्द सरकार के साथ बातचीत शुरू कर दी है ताकि वह बिल्कुल सीधा हो जाय।

*२३-२५---**श्री रूर्मासिह** (जिला शाहजहांपुर)---[१० सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

राज्य में भुखमरी की शिकायतें

*२६---**श्री चन्द्रजीत यादव** (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मार्च सन् १९५८ से लेकर आज तक सरकार को प्रदेश में किसी भुखमरी की सूचना मिली है? यदि हां, तो कहां से, और उस सम्बन्ध में सरकार ने क्या किया?

श्री चरणसिंह---राजस्व (अभाव) विभाग में मार्च, १९५८ से लेकर आज तक भुखमरी की जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं तथा उन पर जो कार्यवाही की गई उसकी एक सूची† संलग्न है। इसको देखने से पता चलेगा कि किसी भी व्यक्ति की भूख से मृत्यु नहीं हुई है।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन भूख से हुई मृत्युओं की जब सरकार को सूचना मिली तो सरकार ने जिलाधीश को इस बात का आदेश दिया था कि इसकी जांच वह स्वयं करें और जिसने सूचना दी थी उसको भी यह सूचना दी जाय कि वह इसकी जांच कर रहे हैं?

श्री चरणसिंह---यह नियम नहीं है और यह सम्भव भी नहीं है कि हर इन्क्वायरी की जांच जिलाधीश स्वयं करे। आमतौर पर इस प्रकार की तहकीकात तहसीलदार या एस० डी० ओ० करते हैं। न यह आवश्यक है कि जिसने शिकायत की है वह स्वयं वहां मौजूद रहे, क्योंकि कोई आदमी भूख से मरता है या नहीं उसकी बाबत मालूमात उसके घरवालों से हो जाती है या सभापति से मालूम हो जाता है या गांववालों से मालूम हो जाता है। पब्लिक मीटिंग करके उसकी तहकीकात नहीं की जाती है।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इसमें ३ सूचनायें ऐसी हैं जिनको हमारे सदन के सदस्य माननीय ब्रजनारायण ने दिया था और एक ऐसी सूचना है जिसको झारखंडेराय जी ने आजमगढ़ में भूख से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में स्वयं जांच करके दी थी, तो क्या इनकी जांच जिलाधीश से कराई थी?

श्री चरणसिंह---अध्यक्ष महोदय, अगर आप मुझे माफ करें तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे बड़ी खुशी है कि आज खासतौर से इन शिकायतों की बाबत जिक्र आ गया, क्योंकि वैसे भी मैं यह चाहता था कि हाउस के सामने यह इन्स्टैन्सेज आ जायं।

जहां तक ब्रजनारायण जी तिवारी की शिकायत का सम्बन्ध है उनको मैं आपकी इजाजत से सुनाना चाहता हूं। श्री नागू प्रसाद सभापति ग्राम सभा सोरांवा ने सूचना दी थी और डेली भारत ११ जुलाई में एक खबर छपी थी; उसमें दो शिकायतें थीं। एक शिकायत यह थी कि सोहरवां गांव, तहसील पडरौना, जिला देवरिया के निवासी श्री गुली अहीर की स्त्री श्रीमती दुजिया भूख से मर गई। वाक़या यह है कि यह स्त्री ५० वर्ष की थी और वह खांसी और दमा

† सूची छापी नहीं गई।

की बीमारी से पीड़ित थी वह अपने भाई रघुनन्दन के पास २५ वर्ष से रह रही थी। उसके भाई के पास १२.१२ एकड़ भूमि है जिसका वह ३५ रुपया लगान देता है। यह देवरिया का मामला है जहां पर ३ एकड़ की औसत होल्डिंग है। ४ फैमिली की औसत होल्डिंग के बराबर उसके भाई के पास जमीन है। जिलाधीश ने यह भी रिपोर्ट दी है कि जांच के समय उसके घर में बर्तन, आटा और एक बकरी मिली। १२ एकड़ जमीन जिसके पास हो वह अपनी बहन को इस तरह से मरने दे यह आप समझ सकते हैं।

दूसरी शिकायत ब्रजनारायण जी तिवारी की यह है कि दूधनाथ एक नौजवान लड़का भूख से मर गया। मालूम यह हुआ कि उस लड़के की उम्र १५ साल की थी। उसके तीन सगे भाई हैं। एक की उम्र १७ साल, दूसरे की उम्र १९ साल और तीसरे की उम्र २२ साल की है। यह तीनों भाई जिन्दा हैं लेकिन इन तीनों भाइयों ने अपने चौथे भाई को भूख से मरने दिया? ५.४५ एकड़ जमीन उनके घर पर मौजूद है। जो सामान उस समय घर के अन्दर मौजूद था उसमें एक बैल था और एक बकरी भी थी। इन लोगों से खड्डा टैस्टवर्क पर काम करने के लिये कहा गया कि, अगर तुमको जरूरत हो तो तुम लोग खड्डा टेस्ट वर्क पर काम करने के लिये जा सकते हो, उन्होंने कहा कि हम नहीं जायेंगे, कोई जरूरत नहीं है।

एक शिकायत श्री ब्रजनारायण जी ने यह की थी कि श्रीमती बसन्ती गांव रुद्रा, बलिया, थाना कसिया, जिला देवरिया की मृत्यु भूख से हुई है। उसकी बाबत मालूम यह हुआ कि यह स्त्री और उसका लड़का १८ वर्ष का और उसके खानदान में ९ आदमी रहे। जिस खानदान में ११ आदमी रहें वह केवल एक स्त्री को मरने दें यह आप खयाल कर सकते हैं। उनके पास डेढ़ एकड़ जमीन थी। उनके दो खपरैल के मकान हैं, एक झोपड़ी है, एक बैल है, और एक बकरी है और जिस वक्त वह स्त्री मरी है उस वक्त उसके गले में एक चांदी की हंसली मौजूद थी जिसका वजन १२ भर का था। पैरों में कसकुट का गोड़ारा पहने थी जो ३, ४ रुपये का था और जिस वक्त इन्क्वायरी हुई उस वक्त उसके घर पर डेढ़ मन अरहर मौजूद थी और दूसरे छोटे-छोटे जेवरात घर की लेडीज के पास मौजूद थे। उस स्त्री के जो लड़का है वह सोने की जुगाली पहने हुए था। यह सब जेवर मौजूद रहते हुए भी उसको भूख से मरने दिया गया।

समराजी का जहां तक ताल्लुक है, कहा जाता है कि माननीय झारखंडे राय जी ने खुद तहकीकात की है। मेरे पास यह रिपोर्ट नहीं आयी कि माननीय झारखंडे राय जी की शिकायत थी। शायद भोलाराय जी द्वारा, जो दोहरीघाट के हैं, डेली भारत में एक खबर छपी थी और उसी पर हमने तहकीकात करा ली। समराजी गांव बुढ़वल, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ की रहने वाली थी। उसकी उम्र ५० वर्ष की थी और चार महीने से वह बीमार थी। उसकी मृत्यु प्राकृतिक रूप से हुई है। उसके पास काश्त में कुछ जमीन भी थी। वह, उसका लड़का और लड़की मजदूरी करते थे गांव में और इस तरह से अपना गुजर करते थे। उसके पास एक छोटा सा मकान है और उसके पास कुछ चांदी के जेवर भी थे। उसकी लड़कियां जो हैं उनके पास भी कड़े और दूसरे चांदी के जेवर थे जो वे अपने जिस्म पर पहने थीं। इसके लड़के और लड़की अच्छे खासे तन्दुरुस्त मालूम पड़ते थे और उन्होंने लिखा है कि इसकी मृत्यु भूख से नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके जो जवाब आपने दिया है उसकी नकल मेरे पास भिजवा दें।

श्री चरणसिंह---वैसे जो मैंने लिस्ट दी है वह मुख्तसरन है और यह मैं आपके पास भिजवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष---ठीक है, मैं कम्पेयर कर लूंगा ताकि कोई गलती न रह जाय।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या माननीय राजस्व मंत्री जी अपने ही को लीग विचित्र नारायण शर्मा जी से इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष--यह सुझाव है। आप लिख कर भेज दीजिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी--जो माननीय मंत्री जी के पास शिकायतें आयी हैं क्या उनमें यह शिकायत भी है कि गोरखपुर जिले में श्रीमती समराजी आम की गुठली खाकर मर गयी ?

श्री चरणसिंह--मैंने तो जो लिस्ट थी वह हाउस की मेज पर रख दी। इसमें इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन उन लोगों की बात यकीन करना मुझे कठिन होता है कि जो कहते हैं कि १२ एकड़ जमीन रही, चार भाई मौजूद रहे और फिर भी घर वाले को भूखा मर जाने दिया।

*२७--**श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव** (जिला आजमगढ़)--[हटा दिया गया।]

*२८-२९--**श्री हिम्मतसिंह** (जिला बुलन्दशहर)--[हटा दिये गये।]

पहाड़ी जिलों में भूमि-बन्दोबस्त

*३०--**श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी** (जिला गढ़वाल)--क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पहाड़ी जिलों में भूमि-बन्दोबस्त कराने में सरकार का मुख्य मन्तव्य क्या था ?

श्री चरणसिंह--पहाड़ी जिलों में भूमि-बन्दोबस्त कराने का असली मसकद यह है कि वहां सही नक्शे और सही कागजात देही बन जायं।

श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी--क्या वित्त मंत्री जी के उत्तर से हम यह समझें कि कुमायूं के चार जिलों में इस बन्दोबस्त से पूर्व जितने भी बन्दोबस्त हुए उनमें सही नक्शे नहीं तैयार हो पाये और कागजातदेही सही तरीके से नहीं हो पायी ?

श्री चरणसिंह--मैं ठीक समझा नहीं। अगर मतलब यह है कि पहले जो नक्शे बने थे वह सही नहीं हैं, तो उस वक्त के लिये वह सही होंगे। और दूसरी बात यह है कि उस वक्त कुछ इलाकों में जो नक्शे बने, उनमें ठीक मेजरमेंट नहीं था। रस्सी के जरिये मेजरमेंट किया गया था। तो अगर जो सही भी बने थे तो इतना अरसा गुजर जाने के बाद कागजात में और इलाके में कोई करेस्पांडेंस नहीं रही और इसके अलावा पहला मेजरमेंट भी इनएफीशियेंट था।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि १९०२ में जो वहां पिकट बन्दोबस्त हुआ था उन कागजात के आधार पर वहां बन्दोबस्त हो रहा है या नये तरीके से हो रहा है ?

श्री चरणसिंह--वह कब हुआ था यह तो यहां नहीं है, लेकिन जो रेकार्ड्स सर्वे आपरेशन्स हो रहे हैं वे नियम के मुताबिक हो रहे हैं। पहले के कागजात से मदद लेने की कोशिश हो रही होगी। लेकिन अगर पहले के कागजात को बिल्कुल सही मान लिया जाय तो फिर अजसरेनौ करने की कोई जरूरत नहीं रहती।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार को विदित है कि इस बन्दोबस्त में साझीदारों को कब्जेदार दिखाया जा रहा है ?

श्री चरणसिंह--मैं इसका जवाब एकदम नहीं दे सकूंगा, जिनका कब्जा है वे आक्यूपेंट लिखे जा रहे हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी--क्या भूमि बन्दोबस्त के मकसद की पूर्ति के लिये यह उचित और आवश्यक नहीं है कि कैसर हिन्द भूमि पर काबिज किसानों को सीरतान के रूप में दर्ज किया जाय ?

श्री चरणसिंह--यह बात तो वहां के लैण्ड रिफार्म्स बिल में विचार की जा सकती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---अब तक कितनी लागत पर बन्दोबस्त में क्या तरक्की या प्रगति हुई है और कब तक वह पूरा होगा ?

श्री चरणसिंह---नोटिस चाहिये।

श्री गेंदासिंह---क्या इस बन्दोबस्त की कोई कार्यवाही पाक्षिक, तिमाही या सालाना सरकार के पास आती है ? यदि आती है तो कितने दिनों की, और क्या मंत्री जी उसके बारे में संक्षेप में कुछ बयान करने की कृपा करेंगे ?

श्री चरणसिंह---यह रिपोर्ट बड़ी डिटेल्ड होती है जिसका सरकार से कोई सीधा वास्ता नहीं है, जैसा कि और चीजों में, मालगुजारी वगैरह की वसूलयाबी में हम रिपोर्ट मंगाते हैं उनकी रिपोर्ट जरूर आती होगी और बोर्ड आफ रेवेन्यू में आती होगी। मैं उसे नहीं देखता हूं।

श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी गढ़वाल)---क्या कैसर हिन्द भूमि पर वही लोग काबिज हैं जिनके पास कोई और भूमि नहीं है ?

श्री चरणसिंह---काबिज तो सभी तरह के लोग हो जाते हैं लेकिन अधिकतर वही यह गलती करते हैं जिनके पास भूमि नहीं होती है।

*३१-३२---**श्री छत्तरसिंह** (जिला बुलन्दशहर)---[१० सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील में स्थगित मालगुज़ारी की वसूली

*३३---**श्री उग्रसेन**---क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि १३६४ फसली की रबी की कितनी मालगुजारी की वसूली तहसील बांसगांव, जिला गोरखपुर में स्थगित की गई ?

श्री चरणसिंह---जिला गोरखपुर की रबी १३६४ फसली की क्षति स सम्बन्धित सहायता (relief) के प्रस्तावों पर अन्तिम निर्णय होने तक तहसील बांसगांव के क्षति-ग्रस्त ग्रामों में उस फसल की १,६६,६८५ रु० ११ आ० मालगुजारी की वसूली निलम्बित की गई थी। इस धनराशि में ७८,५५८ रु ० ८ आ० ९ पाई की छूट उन ग्रामों में दे दी गई है जिनको क्षति के आधार पर नियमानुकूल मालगुजारी में छूट मिल सकती थी। शेष ८८,१२७ रु० २ आ० ३ पाई मालगुजारी की छूट नहीं दी गई क्योंकि इसका सम्बन्ध उन ग्रामों से था जिनमें क्षति के आधार पर नियमानुकूल सहायता नहीं दी जा सकती थी।

*३४---**श्री उग्रसेन**---क्या सरकार उक्त स्थगित मालगुजारी को १३६५ फसली की रबी, खरीफ की फसलों में उक्त क्षेत्र को बाढ़ आने से अधिक हानि होने के कारण माफ करने के प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह---उपर्युक्त ८८,१२७ रु० २ आ० ३ पा० की धनराशि रबी १३६४ फसली की बकाया मालगुजारी मानी जायेगी और बकाया अथवा स्थगित मालगुजारी को माफ करने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

*३५---**श्री उग्रसेन**---क्या सरकार को सूचना है कि उक्त स्थगित मालगुजारी की रकम की वसूली इस वर्ष की जा रही है ?

श्री चरणसिंह---जी हां, बकाया मालगुजारी की वसूली इस वर्ष की जा रही है।

श्री उग्रसेन---क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि ७८,५५८ रुपये ८ आने ९ पाई की छूट कितने गांवों पर मिली है ?

श्री चरणसिंह---६८,४९८.१५ रुपये ३८८ गांवों में मिले हैं और १० हजार कुछ रुपये १०७ गांवों के हैं जिनमें नुकसान ६ आने और ८ आने के बीच में था, लेकिन पिछली ४ फसलों में से २ फसलों में बराबर नुकसान होता था। ये १०७ गांव हैं। नियम के अनुसार उनको छूट नहीं मिलनी चाहिये थी लेकिन गवर्नमेंट ने आर्डर दिया है कि अगर पिछली ४ फसलों में से २ फसलों में हानि हो गई हो और चाहे ६ आने का नुकसान हो, तो छूट दे दी जाय। इस तरह के १०७ गांव हैं।

श्री उग्रसेन---जब १३६५ की खरीफ और रबी की दोनों फसलें खराब हुईं तो बाकी मालगुजारी की छूट क्यों नहीं दी गई ?

श्री चरणसिंह---स्थगित मालगुजारी तो नियम के अनुसार उस फसल में वसूल होनी चाहिये। जो फसलें बाद की खराब हुई हैं उनमें छूट दे ही दी गई। तो बाद की फसलों की खराबी की वजह से स्थगित मालगुजारी की छूट का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री उग्रसेन---जो बक़ाया मालगुजारी १३६४ फसली की वसूल करनी थी उसमें से कितनी वसूल हो गई ?

श्री चरणसिंह---नोटिस की आवश्यकता है।

श्री गेंदासिंह---क्या जिला अधिकारियों ने सरकार को लिखा है कि इस वक्त भादों के महीने में बहुत दिक्कत का मुकाबला करना पड़ रहा है और किसानों से रुपया नहीं मिल रहा है ?

श्री चरणसिंह---इस तरह का कुछ नहीं लिखा है। लेकिन सरकार ने अब नहीं, जून में, स्थगित मालगुजारी के सम्बन्ध में ये आर्डर्स दे दिये थे कि अगर ८ आने से ज्यादा हानि किसी गांव में है तो वहां स्थगित मालगुजारी वसूल न की जाय, जहां ६ आने से ८ आने नुकसान है वहां आधी बकाया वसूल की जाय और जहां ६ आने से कम हानि है वहां सारी बकाया वसूल की जाय।

बन्दी सम्मेलन में दिये गये सुझाव

*३६.---**श्री गंगाप्रसाद सिंह** (जिला बलिया)---क्या यह सही है कि इस प्रदेश में कुछ काल पूर्व प्रदेशीय सरकार ने बन्दियों तथा भूतपूर्व बन्दियों का एक सम्मेलन किया था ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उनके प्रतिनिधियों के जेल सुधार के सम्बन्ध में मुख्य सुझाव क्या-क्या हैं ?

सामाजिक सुरक्षा राज्य मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)---जी हां। उस सम्मेलन के मुख्य सुझाव संलग्न तालिका में दिये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २५९ पर।)

श्री गंगाप्रसादसिंह---इस सम्मेलन में ९६ सुझाव दिये गये थे जिनमें से १३ के बारे में, जो मुख्य थे, माननीय सुरक्षा मंत्री ने बताया है। तो मैं जानना चाहूंगा कि १३ सुझावों में किन-किन को सरकार ने स्वीकार किया है अथवा कार्यान्वित कर रही है या करने जा रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन---यह तो बड़ी तफसील का सवाल हुआ। एक-एक की उनके पास फेहरिस्त है, वे पूछते जावें मैं बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष---उन्होंने तो गोल प्रश्न किया है कि इनमें से कोई कार्यान्वित हुये हैं या नहीं।

श्री मुजफ्फर हसन---बहुत से हुए हैं।

श्री गंगाप्रसाद सिंह---ये जो १३ सुझाव मोटे-मोटे दिये गये हैं इनमें से कौन-कौन से कार्यान्वित किये गये हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन---कई ऐसे हैं जो जेरे गौर हैं, मसलन पांचवां, छठां, दसवां । बाकी कुछ आंशिक या पूरे तौर से स्वीकार किये गये हैं ।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी) ---क्या वजीरे-कैदखाना यह बतलाने की जहमत गवारा फरमावेंगे कि वे सुझाव क्या थे ?

श्री अध्यक्ष---फेहरिस्त दे दी गई है ।

श्री प्रतापसिंह---क्या उन सुझावों में से एक यह भी था कि जेल मैनुअल आउट-आफ-डेट है और उसका संशोधन होना चाहिये ?

श्री मुजफ्फर हसन---जी नहीं ।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़) ---क्या माननीय मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि उन बंदियों और भूतपूर्व बंदियों की संख्या क्या थी जो इस सम्मेलन में एकत्रित हुए थे ? वे प्रत्येक जिले से आये थे या कुछ ही जिलों से ?

श्री मुजफ्फर हसन---उनकी संख्या ५० थी । सेन्ट्रल जेल से आये थे, और जिला जेलों से भी आये थे ।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि भूतपूर्व बंदियों के जो प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित हुए थे, उनका चुनाव हुआ था या किसी और आधार पर बुलाये गये थे ?

श्री मुजफ्फर हसन---इस बारे में कुछ हिदायात गयी थीं कि इन केटेगरीज के मातहत जहां कहीं लोग हों, उनको भेजा जाय । चुनाव तो हो ही नहीं सकता था ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार यह बतायेगी कि बिभिन्न पार्टियों के भूतपूर्व बन्दी भी उसमें बुलाये गये थे ?

श्री मुजफ्फर हसन---जी नहीं, पार्टियों का अखाड़ा उसे नहीं बनाना था ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उसमें सेंट्रल जेल के कुछ कैदी आये लेकिन उनको भाग नहीं लेने दिया गया उस कान्फ्रेन्स में ?

श्री मुजफ्फर हसन---जी हां, एक आध ऐसे कैदी भी आये थे जिनके पास नामुनासिब पैम्फलेट वगैरह मिले जो रास्ते में उनको दे दिये गये थे, उनको शरीक नहीं किया गया ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर) ---क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसी मंत्री ने की थी या जेल अधिकारी ने ?

श्री मुजफ्फर हसन---उसका अध्यक्ष तो मैं ही था ।

*३७---श्री गंगाप्रसाद सिंह---[हटा दिया गया ।]

खरीफ की फसल के लगान में छूट

*३८---श्री गंगाप्रसाद सिंह---क्या सरकार कृपया हाल में दी गयी मालगुजारी सम्बन्धी छूट की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री चरणसिंह---प्रश्न का तात्पर्य खरीफ १३६५ फसली की क्षति के सम्बन्ध में दी गई छूट से प्रतीत होता है। इसके बारे में अपेक्षित सूचना संलग्न अनुसूची में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ. २६० पर।)

श्री गंगाप्रसादसिंह---क्या यह सही है कि फसली सन् १३६५ में माननीय मंत्री जी बलिया गये थे और उन्होंने बलिया की हालत को देखकर यह कहा था कि सामान्यतः बलिया और रसड़ा की हालत बहुत खराब है ?

श्री चरणसिंह---मैं नहीं कह सकता कि मैंने नहीं कहा था, लेकिन मुझे याद जरूर नहीं है।

श्री गंगाप्रसादसिंह---क्या माननीय मंत्री जी का यह आदेश हुआ था कि बलिया में १३६५ फसली में जो खराब फसलें हुईं उनमें तकावी बांटी जाय, लेकिन छूट की लिस्ट में बलिया का नाम क्यों नहीं है ?

श्री चरणसिंह---बलिया का जिक्र क्यों नहीं है ? तीसरी लिस्ट में बलिया का जिक्र है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कुल छूट कितने की दी गयी है और कितने जिलों में दी गयी है ?

श्री चरणसिंह---३४ जिलों में १,१०,५७,६०५ रुपये की छूट दी गयी है और ११ जिलों में सस्पेंशन हुआ है मालगुजारी का, और वह है ६,९९,७८४ रुपये और ११ जिलों में छूट के सिलसिले में जो प्रपोजल्स हैं वे ५२,००,००० रुपये के हैं जो अभी विचाराधीन है।

*३९-४०---**श्री कोतवालसिंह भदौरिया** (जिला फर्रुखाबाद)---[१० सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*४१-४२---**श्री बंशीधर शुक्ल** (जिला खीरी)---[१० सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*४३---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)---[१२ सितम्बर, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ८१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*४४-४६---**श्री भगवतीसिंह विशारद**---[१० सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

कानपुर जेल में श्री राजनारायण का श्रेणीकरण तथा उन से जुर्माने की वसूली

*४७---**कुंवर श्रीपालसिंह**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सोशलिस्ट सत्याग्रह के सम्बन्ध में नवम्बर सन् १९५७ में कानपुर जिला जेल में कितने सोशलिस्ट सत्याग्रही थे तथा वे किस-किस श्रेणी में रखे गये थे ?

श्री मुजफ्फर हसन---१५।

१ उच्च श्रेणी में व बाकी साधारण श्रेणी में।

*४८---**कुंवर श्रीपालसिंह**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त प्रश्न में कहे गये सत्याग्रहियों में से कितनों से तथा कितना-कितना जुर्माना वसूल किया गया तथा कितनों ने जुर्माना देने से इन्कार किया ?

श्री मुजफ्फर हसन---एक बन्दी से कुल ५० रुपया वसूल हुआ। सात बन्दियों ने जिन्हें केवल जुर्मानों की सजा थी, जुर्माना नहीं दिया। छः को केवल कैद की सजा थी। एक जो १०७ जाब्ता फौजदारी में दण्डित था, जमानत मुचलका दे देने पर छोड़ दिया गया।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या माननीय मंत्री जी उनका नाम बतलाने की कृपा करेंगे जिनको उच्च श्रेणी में रखा गया था और किस आधार पर?

श्री मुजफ्फर हसन—श्री राजनारायण, आधार की जरूरत शायद नहीं है।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या माननीय मंत्री जी उनका नाम बतलाने की कृपा करेंगे जिन्होंने ५० रुपये जुर्माना दाखिल कर दिया था?

श्री मुजफ्फर हसन—वे भी श्री राजनारायणसिंह हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों ने जुर्माना नहीं दाखिल किया उनको क्या सजा भुगतनी पड़ी और कितने दिन?

श्री मुजफ्फर हसन—जिनका कि उत्तर में जिक्र है, ये छः कैदी ऐसे हैं जिनके ऊपर जुर्माने की ही सजा थी और न देने पर कैद की सजा थी। उन्होंने जुर्माना नहीं दिया, जेल में रहे। उसकी तफसील तो मैं बता नहीं सकूंगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि ५० रुपये जुर्माना श्री राजनारायण सिंह से वसूल हुआ है, तो क्या उनको यह जानकारी है कि यह जुर्माना श्री राजनारायण सिंह ने जमा किया है या किसी दूसरे ने जमा किया है?

श्री मुजफ्फर हसन—मेरे पास इसकी तफसील नहीं है।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या माननीय मंत्री जी उनके नाम बतलाने की कृपा करेंगे जो १०७ जाब्ता फौजदारी में दंडित हुए हैं जिन्होंने अपनी जमानत का रुपया दाखिल किया और दाखिल किया तो कितना?

श्री मुजफ्फर हसन—नाम तो मेरे पास नहीं हैं, लेकिन दफा १०७ में लोगों से जमानत मांगी जाती है और जो जमा कर देता है उसको छोड़ दिया जाता है।

श्री रामकृष्ण सारस्वत (जिला फर्रुखाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सोशलिस्ट पार्टी के कितने सत्याग्रहियों ने इसमें भाग लिया था?

श्री मुजफ्फर हसन—यह सवाल तो एक पार्टीकुलर महीने के लिये है और एक खास जेल के लिये है। उसकी पूरी तफसील तो मेरे पास है नहीं।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों ने जुर्माना नहीं दिया और बाद में उनको सजा काटनी पड़ी, तो पूरी सजा नहीं काटनी पड़ी, वे किसी अवसर पर छोड़ दिये गये?

श्री मुजफ्फर हसन—इसकी तफसील मेरे पास नहीं है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—जिस वक्त माननीय राजनारायण जी का जुर्माना जमा हो गया था और जब वे छोड़े गये तो उन्होंने इंकार किया कि हम नहीं छूटेंगे?

श्री मुजफ्फर हसन—मुझे तो इसकी कोई इत्तला है नहीं।

शाहजहांपुर जिले में दी गयी वृद्धावस्था की पेन्शन

*४९—श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला शाहजहांपुर में इस समय तक कितने व्यक्तियों को वृद्धावस्था की पेंशन स्वीकार की गई है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—शाहजहांपुर जिले में इस समय तक कुल १३२ व्यक्तियों को वृद्धावस्था की पेंशन स्वीकृत की गई है।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कितने व्यक्तियों की वृद्धावस्था पेंशन की दरख्वास्तें जिलाधीश के पास पहुंची थीं और उनमें से कितनी सरकार के पास आईं?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जिलाधीश के पास कितनी आईं इसकी सूचना मेरे पास नहीं है, लेकिन जिलाधीश ने १४० दरख्वास्तें श्रमायुक्त के पास भेजी थीं जिनमें १३२ मंजूर हो गयीं, सात पर जानकारी और की गयी है और एक नामंजूर हो गयी।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार उन व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन पाने के लिये पुनः अवसर देगी कि वे फिर अपनी दरख्वास्त दे सकें जो पिछली बार अपनी दरख्वास्त नहीं दे सके हैं?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—दरख्वास्त देने में कोई रोक नहीं है, क्योंकि ७० साल की उम्र बराबर लोगों की होती चली जायगी और बराबर दरख्वास्तें वे देंगे।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—एक दरख्वास्त जो नामंजूर कर दी गयी वह किस ग्राउंड पर नामंजूर कर दी गयी?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जो नियम बने हुए हैं उनमें वह एप्लिकेशन नहीं आती थी।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो एक प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया गया है उसका आधार यह था कि उन सज्जन की बहन का लड़का आश्रय मान लिया गया था?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—निश्चित तफसील मेरे पास नहीं है, लेकिन नियम के अन्दर वह नहीं आते, इसलिये उनको नहीं दी गयी।

*५०—श्री मथुराप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—[हटा दिया गया।]

झांसी जिले में वृद्धावस्था की पेन्शन के लिए प्रार्थना-पत्र

*५१—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले से वृद्धावस्था की पेंशन पाने के लिये कितने प्रार्थना-पत्र १९५८ के अप्रैल तक आये थे और आज तक कितने लोगों को कितनी मासिक पेंशन दी जा रही है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—झांसी जिले में अप्रैल, १९५८ के अन्त तक वृद्धावस्था पेंशन के हेतु कुल १४८ प्रार्थना-पत्र आए, इसमें से ८६ अस्वीकृत किए गए, १९ मंजूर हुए और शेष विचाराधीन हैं, मंजूर हुए १९ में से ३ की मृत्यु हो गई है और शेष १६ को १५ रुपया मासिक पेंशन मिल रही है।

*५२-५३—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—[हटा दिये गये।]

कोषाधिकारी आजमगढ़ के कार्यालय के पेमेंट क्लर्क

*५४—श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कोषाधिकारी आजमगढ़ के कार्यालय में पेमेंट लिपिकों (Payment Clerks) की संख्या इस समय कितनी है?

श्री चरणसिंह—इस समय कोषाधिकारी आजमगढ़ के कार्यालय में तीन पेमेंट लिपिक हैं।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि रिआर्गनाइजेशन आफ ट्रेजरीज की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसके पश्चात् आजमगढ़ जिले में कोषाधिकारी के कार्यालय में पेमेंट क्लर्क्स की संख्या कितनी हो रही है ?

श्री चरणसिंह—यह बात ठीक है कि ट्रेजरीज का पुनर्गठन सरकार के विचाराधीन है, लेकिन चीफ इंस्पेक्टर आफ आफिसेज की रिपोर्ट आने के बाद हर जिले में संख्या तय की जायगी।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या यह सच है कि इंस्पेक्टर आफ आफिसेज ने बजाय तीन से दो पेमेंट क्लर्क्स रखने का सुझाव दिया है ?

श्री चरणसिंह—अभी चीफ इंस्पेक्टर आफ आफिसेज की रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है, कलेक्टर ने यह लिखा है कि एक इंस्पेक्टर आया था, उसने कुछ जबानी वहां बात कही थी।

*५५—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—[पांचवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ८४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में समानता लाने पर विचार

*५६—श्री शब्बीर हसन (जिला फतेहपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वित्त मंत्री ने अपने इस साल के बजट भाषण में जो एलान किया था कि मौजूदा डिस्पेरिटी जो सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में है, उसको खत्म करने के लिये वह कोशिश कर रहे हैं, उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री चरणसिंह—प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है।

श्री शब्बीर हसन—अमन्, मैंने जो सवाल पूछा था उसका यह जवाब नहीं है। यह बात तो पहले ही वित्त मंत्री जी अपनी तकरीर में कह चुके थे। सवाल तो मैंने यह पूछा था कि अब तक हुआ क्या ताकि यह मालूम हो सके कि कब तक यह तय हो जायगा ?

श्री अध्यक्ष—माननीय वित्त मंत्री, आपका जवाब क्या है ?

श्री चरणसिंह—मेरा जवाब यह है कि यह प्रश्न अभी भी विचाराधीन है।

श्री शब्बीर हसन—मेरे पूछने का मतलब यह था कि उसमें अब तक क्या हो चुका है और आखिर यह मामला कब तक तय होगा जब कि गरानी रोज बढ़ती जा रही है....

श्री अध्यक्ष—आपका प्रश्न यह है कि क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वित्त मंत्री ने अपने इस साल के बजट भाषण में जो एलान किया था कि मौजूदा डिस्पेरिटी जो सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में है, उसको खत्म करने के लिये वह कोशिश कर रहे हैं, उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? तो उसका जवाब उन्होंने दे दिया कि उसके ऊपर अभी तक वह विचार कर रहे हैं। यह जवाब तो ठीक है।

श्री शब्बीर हसन—क्या यह बढ़ती हुई महंगाई जो है उसको देखते हुए सरकार इस मामले को जल्द तय कर देगी ?

श्री चरणसिंह—कोई ऐसा वायदा नहीं किया जा सकता।

एम्पलायमेंट एक्सचेंज, बांदा से हरिजनों को रोजगार मिलना

*५७—श्रीमती सियादुलारी (जिला बांदा)—क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एम्पलायमेंट एक्सचेंज, बांदा में कितने हरिजन प्रार्थियों ने १९५७-५८ में अपना रजिस्ट्रेशन कराया तथा कितने नौकरी में लगाये गये ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--सन् १९५७-५८ में १६८ हरिजन प्रार्थियों ने अपना नाम सेवायोजन कार्यालय, बांदा में पंजीकृत करवाया। जिनमें से इस अवधि में १२ हरिजन प्रार्थियों को नौकरी दिलाई गई।

श्रीमती सियादुलारी--क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन हरिजनों ने अपना नाम रजिस्टर कराया था उनमें से कितने इंटरव्यू में बुलाये गए ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--इंटरव्यू में तो हम नहीं बुलाते हैं, लेकिन सेवायोजकों के पास हमने ८८ हरिजनों को नौकरी के लिए भेजा था।

श्रीमती सियादुलारी--उन ८८ में से कितने चुने गए उसकी सूचना क्या माननीय मंत्री जी के पास है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मान्यवर, वह तो जवाब में लिखा है कि १२ को नौकरी दिलाई गई।

श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इम्पलायमेंट एक्सचेंज बांदा में १९५७-५८ में कुल कितने आदमियों ने अपने को पंजीकृत कराया था और उसमें से कितने लोगों को नौकरी मिली।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--सभी लोगों की तफसील मेरे पास नहीं है। जिन लोगों की तफसील है और जो सवाल पूछा गया था वह सिर्फ हरिजनों का पूछा गया था और उसका उत्तर दिया जा चुका है।

*५८-५९--**श्रीमती चन्द्रावती** (जिला बिजनौर)--[१० सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

बिजनौर जिले में जमींदारी बाण्डों के भुगतान का शेष धन

*६०--**श्रीमती चन्द्रावती**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बिजनौर में जमींदारी बांडों की देय रकम कुल कितनी है और अब तक कितनी रकम का भुगतान हो चुका है ?

श्री चरणसिंह--जिला बिजनौर में जमींदारी बांडों की देय रकम १,६२,५७,९५० रुपये है और अब तक १,५३,४३,९०० रुपये का बांडों में भुगतान हो चुका है।

श्रीमती चन्द्रावती--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जो शेष रकम है इसका कब तक भुगतान हो जायगा और क्या इसमें रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट का भी धन निहित है ?

श्री चरणसिंह--रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट के बांड्स का इससे कोई वास्ता नहीं। सवाल था प्रतिकर बांड्स का और जो यह ९,००,००० रुपये के बांड्स हैं वे जिले में पहुंच चुके हैं। अगर तकसीम नहीं हुए हैं तो सबसे बड़ी वजह यह है कि लोगों को नोटिस पहुंच गये, लेकिन वह लेने नहीं गए। ६,००,००० रुपये के तो इसी वजह से तकसीम नहीं हुए। दूसरी वजह यह कि १,००,००० रुपये के बांड्स के सम्बन्ध में अदालतों की तरफ से इंजंक्शन जारी हो गए हैं। १ करोड़ ६२ या ६३ लाख के बांड्स वह हैं कि जो जिले में पहुंच चुके हैं, लेकिन वैसे कुल बांड्स की जो कीमत है मुआवजे की वह २,०२,००,००० रुपये के करीब है।

श्री गेंदासिंह--यह नोटिस जो बांड के मालिकों को दिये जाते हैं वह तहसील के चपरासी द्वारा दिये जाते हैं या डाकखाने द्वारा ?

श्री चरणसिंह--मैं समझता हूं कि तहसील के चपरासी के जरिये दिये जाते होंगे।

श्री गेंदासिंह--क्या राजस्व मंत्री जी इन नोटिसों को डाकखाने के जरिये भिजवाने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं। खर्चा होगा स्टैम्प वगैरह का और उससे गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ जायगा। जो तहसील का चपरासी जाता है वह नोटिसों को बांटने के अलावा और सैकड़ों काम भी कर देता है।

*६१—**श्री मूलचन्द** (जिला सीतापुर)—[१० सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

बस्ती जिलान्तर्गत नौगढ़ व बांसी तहसीलों में अग्निपीड़ितों को सहायता

*६२—**श्री मथुराप्रसाद पांडेय** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जिले के नौगढ़ व बांसी तहसील में १-१-१९५८ से अब तक किन-किन गांवों में आग लगी और उनमें से प्रत्येक गांव में कितने घर जले और कितने धन-जन की हानि हुई?

श्री चरणसिंह—अपेक्षित सूचना संलग्न सूची में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २६१-२६३ पर)

*६३—**श्री मथुरा प्रसाद पांडेय** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त तहसीलों में जिन-जिन गांवों में आग लगी वहां के निवासियों को कितनी-कितनी सहायता किस रूप में की गई?

श्री चरणसिंह—इसकी सूचना प्रश्न ६२ के उत्तर से सम्बन्धित सूची के स्तम्भ ७ व ८ में दी हुई है।

उन्नाव जिले में अग्निपीड़ितों को सहायता

*६४—**श्री मुल्लाप्रसाद 'हंस'** (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला उन्नाव में १९५८ में प्रत्येक तहसील में आग से कितने गांव जले?

श्री चरणसिंह—जिला उन्नाव में १९५८ में जिन गांव में आग लगी उनकी तहसील-वार संख्या इस प्रकार है—

नाम तहसील					ग्रामों की संख्या जिनमें १-१-५८ से ३०-६-५८ तक आग लगी
१—उन्नाव	..	..	..	..	४३
२—हसनगंज	..	..	..	..	३०
३—सफीपुर	..	..	..	..	३७
४—पुरवा	..	..	..	..	५१
			योग	..	१६१

*६५—**श्री मुल्लाप्रसाद 'हंस'** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रत्येक तहसील में किन-किन गांवों में कितनी-कितनी सहायता दी गयी?

श्री चरणसिंह—अपेक्षित सूचना संलग्न सूची में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २६४-२६५ पर)

बाराबंकी जिले में रौजा ग्राम का खसरा गायब होना

*६६—श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बाराबंकी, तहसील व परगना फतेहपुर, ग्राम रौजा का सन् १३५९ फसली का खसरा गायब हो गया है? यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री चरणसिंह—जी हां, गायब हो गया है। सम्बन्धित सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो को मुअत्तल करके मामला जांच के लिए पुलिस के हवाले किया गया था। पुलिस की रिपोर्ट है कि चालान के लिए पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। अतः अब उक्त कर्मचारी के विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही की जा रही है। खसरे की दूसरी प्रति तैयार करायी जा रही है।

श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह खसरा किस तारीख को गायब हुआ और किस आफिस से गायब हुआ?

श्री चरणसिंह—यह गायब हुआ नवम्बर, १९५७ में और किस आफिस से गायब हुआ अभी यह ठीक नहीं कहा जा सकता। जहां भी रखा हुआ था वहां से गायब हुआ।

श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि खसरा के गायब होने में किन-किन कर्मचारियों का हाथ था?

श्री चरणसिंह—सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो और रजिस्ट्रार कानूनगो और उसके सहायक। इनमें से ही किसी का काम है। अब चूंकि तहकीकात चल रही है इसलिये उसके सिलसिले में कोई डफिनिट बात कहना सम्भव नहीं होगा।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन्हें इस बात का कुछ पता लगा कि यह खसरा क्यों गायब हुआ?

श्री चरणसिंह—मालूम होता है किसी पुराने जमींदार की हरकत रही होगी।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब यह खसरा गायब हुआ तो वह तहसील के मुहाफिजखाने में था या जिले के मुहाफिजखाने में था?

श्री चरणसिंह—तहसील के मुहाफिज खाने में।

*६७—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—[१० सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

राज्य में रोजगार दिलाऊ दफ्तर

*६८—श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में एम्प्लायमेंट एक्सचेंज आफिस कहां-कहां हैं?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—प्रदेश में एम्पलायमेंट एक्सचेंज आफिस निम्नलिखित जगहों पर है—

१—कानपुर
२—आगरा
३—मेरठ
४—लैंसडाउन
५—अल्मोड़ा
६—बरेली
७—लखनऊ
८—गोरखपुर
९—इलाहाबाद
१०—झांसी
११—अलीगढ़
१२—बलिया
१३—देहरादून
१४—फैजाबाद
१५—रामपुर
१६—गोंडा
१७—मुरादाबाद
१८—नैनीताल

१९—शाहजहांपुर
२०—बाराणसी
२१—सहारनपुर
२२—बांदा
२३—इटावा
२४—फतेहगढ़
२५—मथुरा
२६—बुलंदशहर
२७—मुजफ्फरनगर
२८—मिर्जापुर
२९—सीतापुर
३०—बिजनौर
३१—नरेन्द्रनगर (टेहरी-गढ़वाल)
३२—हाथरस (जिला अलीगढ़)
३३—मैनपुरी
३४—गाजियाबाद (जिला मेरठ)
३५—पौरी (जिला गढ़वाल)
३६—रिहेन्ड डैम (जिला मिर्जापुर)

श्री माताप्रसाद—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन जिलों में एम्प्लायमेंट ऐक्सचेंज आफिस नहीं है वहां के बेकारों को रजिस्टर कराने की क्या सुविधा दी गई है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जो हमारे एक्सचेंजेज हैं वह जिलों के लिये नहीं होते हैं, यह तो एरियाज के लिये हैं। और कोशिश यह है कि धीरे-धीरे इनको जहां यह आफिस नहीं है वहां भी खोलें। ज्यों-ज्यों धन मिलता जायगा हम खोलते जायेंगे।

*६९—श्री भूपकिशोर (जिला एटा)—[१० सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

जिलों के पुनस्संगठन के सम्बन्ध में जानकारी

*७०—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार प्रदेश में जिलों के पुनस्संगठन करने के बारे में विचार करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चरणसिंह—जिलों के पुनर्संगठन का मामला किसी सक्रिय रूप में विचाराधीन नहीं है। इस विषय में कोई ठोस सुझाव दिये जायेंगे तो सरकार उन पर अवश्य विचार करेगी।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बतायेगी कि यू० पी० के जिलों का पुनर्गठन करने के मुताल्लिक अब तक कोई सुझाव आये हैं या नहीं ?

श्री चरणसिंह—मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई खास सुझाव आये हैं।

*७१—श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—[१० सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

इलाहाबाद जिलान्तर्गत मेजा तहसील के अभावग्रस्त क्षेत्र में सहायता के लिए आयुक्त का प्रतिवेदन

*७२—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद जिले की वर्तमान खाद्य समस्या पर कमिश्नर ने अपनी कोई रिपोर्ट सरकार के पास भेजी है ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने कौन सी कार्यवाही की ?

श्री चरणसिंह—आयुक्त की २४ जून, १९५८ की एक रिपोर्ट शासन को प्राप्त हुई थी पर उसका सम्बन्ध इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील के अभावग्रस्त इलाके से था। उसमें आयुक्त ने उक्त तहसील के अभावग्रस्त इलाके के निवासियों की तात्कालिक सहायता के लिये कुछ सुझाव भेजे थे। उस रिपोर्ट का सम्बन्ध जिले की खाद्य स्थिति से नहीं था।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उस रिपोर्ट की खास बातें क्या थीं और उस पर सरकार ने क्या किया ?

नोटः—तारांकित प्रश्न संख्या ७२ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री चरणसिंह---बताने में जरा सी देर लगेगी। उसमें कमिश्नर ने यह कहा था कि बारिश शुरू हो जाने के बाद भी सहायता के कामों की जरूरत पड़ेगी, जब तक कि खरीफ की फसल तैयार होकर न आ जाय तब तक आवश्यक होगा कि टेस्ट वर्क और विभाग के जो काम हैं, जो फेयरप्राइस शाप्स हैं और जो अहेतुक सहायता है यह सब अब से चार मास तक और जारी रखे जायं।

उनकी दूसरी सिफारिश यह थी कि जो तालाबों को गहरा करने के सम्बन्ध में टेस्ट वर्क जारी हैं या कुंओं को गहरा करने के लिये जारी हैं उन पर उन्होंने अच्छी खासी हाजिरी देखी, लेकिन बरसात के कारण उन के जल्द भर जाने का डर है इसलिये उन्होंने यह सिफारिश की कि जो पत्थर तोड़ने का जरूरी काम है, जो पी० डब्लू० डी० वगैरह के जरिये कराया जाता है वह बरसात के जमाने में टेस्ट वर्क्स जारी रखकर कराया जाय।

तीसरी सिफारिश यह थी कि २,००,००० रुपया ऐक्ट १२ के मातहत तकावी के लिये जो रुपया इस वक्त तक दिया जा चुका है वह देना चाहिये। चौथी सिफारिश यह थी कि दूसरे जिलों से नेजा में अगर खरीफ की फसल के लिये बीज भेजा जा सके तो भेजना चाहिये, कलेक्टर ने इस सम्बन्ध में गवर्नमेन्ट को लिखा भी है।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं, उत्तर संक्षेप में ही होना चाहिये।

श्री चरणसिंह---यह स्केयरसिटी के सम्बन्ध में बड़ी रिपोर्ट है, उसके लिये मैं तैयार हो कर नहीं आया हूं।

*७३---श्री गनेशचन्द्र काछी---[१० सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*७४-७५---श्री रघुबीरसिंह (जिला मेरठ)---[१० सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

बलिया जिले में परगना हाकिमों के विचाराधीन मुकदमे

*७६---श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिले के प्रत्येक हाकिम परगना के यहां सन् १९५६ और १९५७ के कितने-कितने मुकदमे विचाराधीन हैं?

श्री चरणसिंह---सन् १९५६ का कोई भी मुकदमा विचाराधीन नहीं है। सन् १९५७ के मुकदमों की संख्या निम्नलिखित है:---

हाकिम परगना, बलिया	१६७ माल के
अतिरिक्त हाकिम परगना, बलिया	४०० माल के तथा १ फौजदारी का
हाकिम परगना, बांसडीह	७३० माल के
हाकिम परगना, रसड़ा	८१ माल के

हरदोई जिले में दी गयी वृद्धावस्था की पेंशन

*७७---श्री बुलाकीराम (जिला हरदोई)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले में इस समय तक कितने व्यक्तियों को वृद्धावस्था की पेंशन दी गई है और उनमें कितने पुरुषों को और कितनी स्त्रियों को यह सुविधा मिली है?

आचार्य जुगलकिशोर---हरदोई जिले में अभी तक २९ व्यक्तियों को वृद्धावस्था की पेंशन दी गई है जिन में १० पुरुष एवं १९ स्त्रियां हैं।

हरदोई जिले में महिला कल्याण योजना लागू न होना

*७८—श्री बुलाकीराम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले की किन-किन तहसीलों में और उन तहसीलों के किन ग्रामों में महिला-कल्याण योजनायें चलायी जा रही हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—हरदोई जिले में सरकार की महिला मंगल योजना लागू नहीं है ।

*७९—श्री बुलाकीराम—[१० सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*८०—श्री सुखलाल (जिला इटावा)—[१० सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

जालौन जिले में प्रोबेशनर्स

*८१—श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस समय जिला जालौन में कितने प्रोबेशनर्स जिला प्रोबेशन अफसर के देख-रेख में हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—३१ जुलाई, १९५८ ई० को जिला प्रोबेशन अफसर, जालौन की देख-रेख में २० प्रोबेशनर्स थे ।

*८२—श्री गोविन्दनारायण तिवारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त जिला प्रोबेशन अफसर के दफ्तर का कुल खर्चा वित्तीय वर्ष १९५७-५८ में कितना हुआ ?

श्री मुजफ्फर हसन—५,८१४ रुपये, ११ नये पैसे ।

डिप्टी कमिश्नर नैनीताल के पास भूमिहीनों के प्रार्थना-पत्र

*८३—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार यह बतायेगी कि डिप्टी कमिश्नर, नैनीताल के पास पिछले तीन वर्षों १९५५, १९५६ और १९५७ में कितने भूमिहीनों के प्रार्थना पत्र भूमि अलाट करने हेतु आये हैं ? उन पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री चरणसिंह—उत्तर देने की सामग्री एकत्रित की जा रही है ।

चीनी मिलों द्वारा बोनस का वितरण

*८४—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५६-५७ के सीजन के लिये राज्य की किन-किन चीनी मिलों ने कितना रुपया बोनस में बांटा ?

आचार्य जुगलकिशोर—अभी तक ४६ चीनी मिलों ने कुल ६०,७९,६९३ रुपया ८५ नया पैसा बांटा है जिसका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ २६६—२६७ पर)

गोंडा जिले के अग्निपीड़ितों को सहायता

*८५—श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा के अन्तर्गत तहसील तरबगंज में १ मार्च, १९५८ से लेकर १५ मई, १९५८ तक कितनी आतशजनी की वारदातें किन-किन गांवों में हुईं और प्रत्येक गांव को कितनी मुफ्त सहायता तथा तकावी दी गई ?

श्री चरण सिंह—अपेक्षित सूचना संलग्न सूची में दिखा दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ २६८ पर)

दूनागिरि कालोनाईजेशन के सम्बन्ध में पूछताछ

*८६—श्री हरिदत्त काण्डपाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दूनागिरी कोलोनाइजेशन स्कीम के ऐडमिनिस्ट्रेटर के पास इस समय क्या-क्या कार्य हैं और कितना स्टाफ किस-किस हेतु हैं ?

श्री चरणसिंह—दूनागिरी कोलोनाइजेशन स्कीम में अब कोई ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर नहीं है । सन् १९५६ से इस योजना का कार्य जिलाधीश अल्मोड़ा की देखरेख से होता है और अब इसके लिये कोई खास स्टाफ नहीं है ।

*८७—श्री हरिदत्त काण्डपाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दूनागिरी कोलोनाइजेशन स्कीम के लिये खरीदी गई स्टेट में बंगले आदि कितनी इमारतें थीं ? इस समय उनका क्या उपयोग हो रहा है और इनके रख-रखाव का क्या प्रबंध है ?

श्री चरणसिंह—इस प्रश्न के सम्बन्ध में आवश्यक सामग्री एकत्रित की जा रही है ।

*८८—श्री हरिदत्त काण्डपाल—क्या दूनागिरी के उपनिवेशकों से लगान लिया जाने लगा है ? यदि हां, तो कब से और किस दर से ?

श्री चरणसिंह—जी हां । लगान की वसूली विद्यमान वर्ष से डेढ़ रुपया प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से आरम्भ हुई है ।

अतारांकित प्रश्न

गंगा खादर योजना पर व्यय

१— श्री गज्जूराम (जिला झांसी)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि अभी तक कितना रुपया गंगा खादर योजना पर व्यय हो चुका है ?

श्री चरणसिंह—उत्तर के लिये सामग्री एकत्रित की जा रही है ।

जिला मैनपुरी, फर्रुखाबाद व गोरखपुर में कतिपय नदियों व तालाबों में बाढ़ आने से सम्पत्ति की हानि व खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास तीन कामरोको प्रस्ताव आये हैं । इनमें से २ बाढ़ के सम्बन्ध में हैं, मैंने उन को माननीय वित्त मंत्री जी के पास भेज ही दिया है, वह सातवें दिन जो सूचना देते हैं उसी में वह मैनपुरी और राप्ती की बाढ़ का विषय भी शामिल कर लेंगे । एक श्री रामदीन जी का है, एक श्री उग्रसेन जी का है तीसरा श्री कोतवाल सिंह जी का है जो खाद्य से संबंधित है । कल खाद्य के बारे में सदन में बहस हो चुकी है और इससे पहले भी हो चुकी थी, इसलिये इस विषय में कामरोको प्रस्ताव स्वीकार करने योग्य नहीं है । मैं इन तीनों को स्वीकार नहीं कर रहा हूं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, माननीय मंत्री जी के पास कोई सूचना हो तो अभी दे दें ।

श्री अध्यक्ष—मैं रोज-रोज इजाजत नहीं दूंगा । एक रोज इकट्ठी सूचना वह दे देंगे

प्रश्नों के समय नाम पुकारे जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---थोड़ा सा मैं अपने स्थानों के सम्बन्ध में कहना चाहता था। हम इधर ऐसी जगह बैठे हैं कि इधर आपका ध्यान आकर्षित नहीं हो पाता, तो कोई और प्रबन्ध किया जाय।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, मैं समझता हूं कि आपको जल्दी पड़ रही थी। दो तीन दफा आप खड़े हुए लेकिन मैंने आपको बुलाया था बाद में। यह जरूर है कि दूसरों को भी मौका देता हूं।

श्री रामस्वरूप वर्मा---श्रीमन्, हम से संबंधित विषय था, इसलिए हमें ज्यादा मौका मिलना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष---आप कृपा कर बैठें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मैं एक निवेदन और करना चाहता था।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, इस वक्त सचिव विधान सभा घोषणा करेंगे।

गोरखपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५८

सचिव, विधान सभा---मैं घोषणा करता हूं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ३० जुलाई, १९५८ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १२ अगस्त, १९५८ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति २३ अगस्त, १९५८ को प्राप्त हो गयी और वह १९५८ का उत्तर प्रदेश का २३वां अधिनियम बन गया।

वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५८

सचिव, विधान सभा---मैं घोषणा करता हूं कि वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ६ अगस्त, १९५८ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १३ अगस्त की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति २३ अगस्त १९५८, को प्राप्त हो गयी और वह १९५८ का उत्तर प्रदेश का २४वां अधिनियम बन गया।

सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५८

सचिव, विधान सभा---मैं घोषणा करता हूं कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५८ पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १ अगस्त, १९५८ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १३ अगस्त, १९५८ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति २३ अगस्त, १९५८ को प्राप्त हो गयी और वह १९५८ का उत्तर प्रदेश का २५वां अधिनियम बन गया।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---श्रीमन्, रक्षाबन्धन आ रहा है, पश्चिमी जिलों का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है।

श्री अध्यक्ष---आप बगैर इजाजत के खड़े हो जाते हैं। आप कृपा करके बैठें।

ईश्वरदास टेक्निकल इन्स्टीट्यूट बहजोई, जिला मुरादाबाद की हड़ताल के सम्बन्ध में जानकारी

उद्योग उपमंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---श्रीमन्, कल मैंने आपके सामने इस बात को कहा था कि यह प्राईवेट स्कूल है, सरकार का नहीं है। उसके संबंध में जो जानकारी प्राप्त की गयी उससे पता चलता है कि उसके मैनेजमेंट के बारे में जो उन्होंने शिकायत की,

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

उसमें बहुत कुछ तथ्य है। उसके लिए उनकी मांग सरकार से केवल इतनी थी कि इसको रिकाग्नाइज किया जाय, तो उसके लिए डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज ने सरकार के पास उसको भेज दिया है और वह सरकार के विचाराधीन है। वह इसलिए नहीं किया गया कि अबतक सरकार उसको कोई रुपया रेकरिंग ग्रांट में नहीं देती है। नान-रेकरिंग ग्रांट में यह गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट देती ही है। मगर उसका मुआइना इंडस्ट्रियल कौंसिल जो गवर्नमेंट आफ इंडिया की है उसकी नार्दर्न जोन कौंसिल ने किया था और उसमें उन्होंने बड़ी खराबियां बतायीं जैसा कि लड़कों की शिकायत है कि स्टाफ ठीक नहीं है, रुपया बड़ा खराबी से इस्तेमाल किया जा रहा है। उसमें उन्होंने इस बात का सजेशन दिया है कि इस स्कूल को बिलकुल क्लोज कर दिया जाय और यहां की जो मशीन वगैरह है उसको भी उठा लिया जाय, जिसके लिये सेंट्रल गवर्नमेंट और इस गवर्नमेंट ने रुपया दिया है। यह भी सिफारिश की है कि योग्य टीचरों को अन्य इन्स्टीट्यूट्स में भेज दिया जाय। शायद उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह भी इनफार्मेशन दी थी कि नये साल के लिए किसी लड़के को भर्ती न किया जाय, मगर शायद प्रिंसिपल ने नहीं माना और भर्ती की गयी। कुछ दिन पूर्व उनके मैनेजिंग बोर्ड के प्रेसीडेंट, उद्योग संचालक और उप-उद्योग संचालक से मिले थे और उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया था कि वह जल्द ही स्कूल की बिल्डिंगें, और बोर्डिंग हाउस को दुरुस्त करवा देंगे, मशीन भी जो खराब बताई गई हैं उनको जल्दी ठीक करवा देंगे और कुछ नये योग्य शिक्षकों की भर्ती एक महीने में कर देंगे। सरकार को उसमें कुछ लेना देना नहीं है। यह आशा करते हैं कि वह (President, Managing Committee) इन कामों को जरूर पूरा कर देंगे। सरकार इस बात का सोच रही है कि इसको एक दम से बन्द कर देने से इतने विद्यार्थियों का क्या हाल होगा। मगर जहां तक लड़कों की यह मांग है कि इन्स्टीट्यूट शहर से दूर है और वहां के लिये कोई सड़क नहीं है तथा सड़क बनाई जाय तो यह तो मैनेजमेंट ही करेगा। सरकार यही कर सकती है कि लैंड अक्वीजीशन में उनकी मदद कर दे और बाकी से सरकार का सीधा संबंध नहीं है। फिर भी जितना भी संभव हो सकता है हम लड़कों के सुभीते के लिये करते रहते हैं।

*इंटरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७

खंड ७ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—श्री रामस्वरूप वर्मा का नाम कल पुकारा गया था।

(श्री रामस्वरूप वर्मा के खड़े होने पर)

आप मौजूद नहीं थे। आपका नाम कल पुकारा गया था, काम रोको प्रस्ताव के समाप्त होने के बाद।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—काम रोको प्रस्ताव के बाद तो नियम नहीं था कि यह चलेगा।

श्री अध्यक्ष—काम जब रोका गया, और काम रोको प्रस्ताव पर बहस हुई तो वह समाप्त होने पर कार्य-क्रमानुसार काम फिर शुरू होता है और उस समय काम न करना हो तो सदन की इच्छा से नहीं होता है पर प्रथा के अनुसार वह प्रारंभ हो जाता है। उसी के अनुसार आपका नाम पुकारा गया था।

श्री रामस्वरूप वर्मा—उस सम्बन्ध में एक आपकी व्यवस्था चाहूंगा कि ५ बजे तक सदन का काम समाप्त होता है और साधारणतया ५ बजे के बाद सदन का कोई काम नहीं होता। तो यह जो काम हुआ वह कहां तक उचित था?

---

* २१-७-५८ को कार्यवाही में छपा है।

श्री अध्यक्ष—काम रोको प्रस्ताव ४ बजे से ६ बजे तक रहा और वह समय उसने ले लिया। तो प्रस्ताव का समय समाप्त होने पर नियम यह है कि उसके बाद जो सदस्य बोलने वाले होते हैं उनका नाम पुकारा जाता है। यह जरूर है कि यह सांकेतिक बात ही होती है—नाम पुकारना। समय अधिक हो जाने से काम तो नहीं होता, लिहाजा मैंने केवल आपका नाम ही पुकारा था। अगर आप इस बुनियाद पर मेरे सामने इस समय भाषण देने की इच्छा प्रकट करें कि कल आपका नाम पुकारना केवल औपचारिक था और क्योंकि कोई कार्यवाही उसके पश्चात् नहीं हुई इस कारण आपको बोलने का मौका दिया जाय तो अगर किसी को आपत्ति न हो तो मैं दे देता। अब भी यदि किसी को आपत्ति न हो तो मैं यही तरीका रक्खूं कि नाम चाहे पुकारा गया हो, लेकिन उन सज्जनों को जिनका नाम पुकारा गया उनको दूसरे रोज बोलने का मौका मिलना चाहिए यदि पहले रोज कोई कार्यवाही न हुई हो, ऐसी प्रथा कायम करने में किसी को आपत्ति तो नहीं है ?

(कोई आपत्ति नहीं की गयी।)

ठीक है। यह प्रथा जारी कर दी जायगी।

किसी को आपत्ति नहीं है, तो माननीय रामस्वरूप वर्मा जी अपना भाषण जारी रखें।

श्री रामस्वरूप वर्मा—मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने एक नयी व्यवस्था इस सम्बन्ध में प्रचलित करके एक बड़ा अच्छा काम किया है कि जिससे सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने का मौका मिल जायगा।

श्रीमन्, मैं कल धारा ७ में श्री उग्रसेन जी के द्वारा उपस्थित संशोधन के संबंध में समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ था। उस सम्बन्ध में यह कह रहा था कि अनुशासन हृदय की वस्तु है। श्रीमन्, माननीय मंत्री जी की ओर से यह कहा गया कि अगर टीचरों के बीच से चुनाव के द्वारा नियुक्ति होगी तो इससे अनुशासन भंग हो जायगा। तो हमारा निवेदन यह है कि अनुशासन हृदय की वस्तु है। माननीय उग्रसेन ने कहा कि अनुशासन दो तरह का होता है। एक पूंजीवादी और सर्वहारा वर्ग का। मैं उस प्रकार के अनुशासन के संबंध को लेते हुए यही कहूंगा कि अगर अनुशासन हृदय की वस्तु नहीं है और बाहर से कुछ नियमों के द्वारा लादा जा सकता है उनके ऊपर, कि जो मानने के लिए तैयार नहीं हैं तो यह कभी संभव नहीं हो सकता है।

श्रीमन्, स्कूलों के अन्दर अगर अध्यापकों को प्रतिनिधित्व मिलता है तो एक बड़ा संतोष उनके अन्दर यह होगा कि उनके लोग मैनेजिंग कमेटी के अन्दर मौजूद हैं और उनको जो कहना है वह अपने प्रतिनिधि के द्वारा कहें। जैसा कि इसमें सजेस्शन है कि सीनियर जो पुराने अध्यापक हैं उन्हीं के रेप्रेजेंटेटिव के द्वारा लिया जाय, अगर यह क्रिया न रहेगी तो जो अध्यापक नये नियुक्त हुए हैं या जो मुस्तकिल नहीं हुए हैं, उनको कैसे संतोष प्राप्त होगा, यह समझ में नहीं आता है। पिछले दिन मैंने यह भी कहा था कि चाहे राज्य को देखें चाहे इंस्टीट्यूशन को देखें, दोनों का एक ही प्रकार का मंशा है। 'राज्य' की परिभाषा अगर माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे तो यही है कि जहां के आदमी एक निश्चित भौगोलिक अवस्था के अन्दर बसते हुए अपनी सरकार के प्रति स्वेच्छा पूर्वक उनकी आज्ञाओं का अनुसरण करते हैं। अगर उसमें दबाव के साथ अनुसरण करें तो राज्य नहीं रह जाता है। इसी प्रकार कोई शिक्षा संस्था अगर अध्यापकों की इच्छा के विरुद्ध उनके ऊपर अनुशासन लादना चाहती है तो मैं समझता हूं कि वह अनुशासन नहीं है और न वह अनुशासन कायम ही रह सकता है। तो यह जो मंत्री जी की तरफ के लोगों को डर है कि अनुशासन भंग हो जायगा अगर अध्यापक मैनेजिंग कमेटी में ले लिये जायंगे, मैं निवेदन करूंगा कि उनका यह डर निराधार है, निर्मूल है और इसमें कोई तथ्य नहीं है।

दूसरी बात, श्रीमन्, यह है कि अगर देखा जाय तो मैनेजिंग कमेटी का जो ज्यादातर वार होता है वह नये अध्यापकों पर ही होता है या जो मुस्तकिल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

नये हो जाते हैं। सारे यू० पी० भर में ऐसे एक दो केस हों होंगे जो मैनेजिंग कमेटी ने सीनियर अध्यापकों के खिलाफ कार्यवाही की हो। जिनके खिलाफ कार्यवाही की जाय उनका प्रतिनिधित्व न हो तो कौन उनकी स्थिति का निवेदन करेगा ? मैं माननीय मंत्री जी से और सौभाग्य से हमारे उपमंत्री जी यहां मौजूद हैं, कहूंगा और मैं एक उदाहरण दे देना चाहता हूं। वह यह है कि पुखरायां में एक नेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल है। उसकी मैनेजिंग कमेटी ने नियमों के विरुद्ध दो अध्यापकों को इनक्रीमेंट नहीं दिया। उन्होंने इंस्पेक्टर और डायरेक्टर के यहां निवेदन किया और मुझ से भी कहा, क्योंकि मैं वहां का एम० एल० ए० हूं। मैंने मंत्री जी को पत्र लिखा। गिर्जा प्रसाद जी के बारे में आर्डर गया कि उनको इनक्रीमेंट दिया जाय। तब मैनेजिंग कमेटी ने उनके खिलाफ यह दूसरी कार्यवाही कर दी कि उनको बरखास्त कर दिया। अब उनका मामला आर्बीट्रेशन में गया है। आज वह बिना पैसे के हैं और स्कूल में उनका नाम नहीं है। वह अलग कर दिये गये हैं। अब हर बात की छानबीन उनके सामने मौजूद है। मैं इस केस की मेरिट्स पर नहीं जाऊंगा लेकिन यह झूठी बात है। दूसरे अध्यापक राज्यपाल सिंह हैं। इनकी नियुक्ति हिन्दी के टीचर के पद पर हुई थी और उनकी योग्यता भी थी। इसके बाद इन्होंने अपनी योग्यता बढ़ा ली और संभवतः अब उन्होंने एम० ए० कर लिया है। लेकिन उनको इनक्रीमेंट नहीं मिल रहा है। बीच में उनकी सर्विस टर्मिनेट हो गई। एक भी दिन काम नहीं हुआ लेकिन कागज पर लिख दिया गया है और वह लगातार चल रहे हैं। लेकिन इनक्रीमेंट नहीं दिया जा रहा है, उनकी २, ३ दरख्वास्तें शिक्षा मंत्री जी के यहां आई हैं और मैंने भी लिखा है लेकिन मैनेजिंग कमेटी के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसलिये मेरा निवेदन है कि मैनेजिंग कमेटी मनमाने ढंग से राज्य करे या टीचर्स के प्रतिनिधि उसमें जायें इन में कौन सा उचित होगा ? इस पर अगर विचार किया जाय तो इस तथ्य पर जरूर पहुंचेंगे कि जहां सीनियर अध्यापकों के लिये रखा गया है कि रोटेशन से आयें वहां चुने हुये अध्यापक भी आयें तो अनुशासन भंग नहीं होगा बल्कि उनको मौका मिलेगा और उनकी बात कही जा सकेगी और मैनेजिंग कमेटी के व्यवहार में कुछ कमी आयेगी।

एक बात और कह दूं कि मंत्री जी को खतरा है कि दो अध्यापकों के जाने से मैनेजिंग कमेटी में विभाजन हो जायगा और दूसरा खतरा स्कूल में पार्टीबन्दी होने का है क्योंकि चुनाव का मसला चलेगा। मैं निवेदन करूं कि हम लोग चुनकर आये हैं तो देश में गुटबंदी फैली है। इससे तो एक आदमी बिठा दीजिये कि चुनाव से अराजकता फैलेगी। चुनाव ऐसी चीज नहीं है जिससे देश को हानि हो। जब आप जनतंत्र की पद्धति को अपना रहे हैं, जनतंत्र में विश्वास करते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता है कि अध्यापकों में चुनाव हो जायगा तो कौन सा पहाड़ टूट जायगा, गगन फट जायगा, कौन-सी परेशानी आ जायगी ? इन तमाम बातों पर मैं समझता हूं मंत्री जी ठंडे दिल से विचार करें। एक बहुत ही छोटा-सा संशोधन है। दो अध्यापक वहां रहते हैं। प्रश्न सिर्फ यह है कि सीनियारिटी के हिसाब से हों या चुने हुये हों। मैं समझता हूं कि वह इसको स्वीकार करेंगे कि चुने हुये होंगे। इससे अध्यापकों का हित होगा और अनुशासन भी कायम रहेगा और उनके मत का प्रकटीकरण भी मैनेजिंग कमेटी में होगा।

इन शब्दों के साथ में इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

शिक्षा उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—श्रीमन्, इस संशोधन पर कल भी कुछ विचार व्यक्त किये गये और आज भी जैसा कि मेरे मित्र रामसुभग जी ने कहा इस विषय पर बहुत ठंडे दिल से विचार किया गया। असल में यह नया सवाल नहीं है। शिक्षकों का प्रतिनिधित्व हो मैनेजिंग कमेटी में यह तो स्वीकार है और यह भी माननीय सदस्यों को मालूम है कि प्रवर समिति में जाने से पहले केवल एक शिक्षक था। प्रवर समिति में एक को बढ़ा कर दो कर दिये गये। श्रीमन्, प्रवर समिति में भी इस पर विचार हुआ और काफी गम्भीरता के

साथ विचार हुआ। जो कुछ आशंकाएं प्रकट की गयी हैं वह बहुत कुछ आशंकाएं हैं नहीं। प्रश्न यह है कि जो शिक्षकों के प्रतिनिधि मैनेजिंग कमेटी में हों वह उनके द्वारा चुने गये हों या सीनियारिटी के हिसाब से हों। इस प्रश्न पर बहुत दिन से विचार है और मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाऊंगा कि पहले विश्वविद्यालयों में शिक्षकों का प्रतिनिधित्व होता था और चुनाव से होता था। अनुभव से इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर चुनाव के बजाय सीनियारिटी रख दें तो अच्छा है। वहां सीनियारिटी रखी गयी। यहां भी इस बात पर विचार हुआ और जब यह सवाल आया कि यह प्रतिनिधि चुने हुये होने चाहिए तो एक मत यह भी था कि शिक्षकों द्वारा चुने हुए नहीं होने चाहिये बल्कि जो शिक्षकों का एसोसिएशन है उसके द्वारा नामजद होने चाहिए। उधर के बैठे हुये मित्रों ने बहुत से ऐसे उदाहरण दिये हैं जिनमें उन्होंने कहा कि शिक्षकों के चुने हुए प्रतिनिधि होंगे तो वह शिक्षकों के हितों की अधिक रक्षा कर सकेंगे। जो आये दिन उन पर ज्यादतियां होती हैं उनका वह अगर चुने हुए होंगे तो परिहार कर सकेंगे। मेरे मित्र उपसेस जी ने जो तर्क दिया वह याद आता है। तर्क तो वह इस पक्ष में था कि चुने हुए होने चाहिये, लेकिन उनका नतीजा यह था कि जो इस समय रखा गया है सीनियारिटी से वह होना चाहिये।

उन्होंने कहा कि सीनियारिटी से जो टीचर्स आयेंगे उनके २, ३ साल रह जायेंगे रिटायर होने के, इसलिए वह शिक्षकों का अच्छा प्रतिनिधित्व नहीं कर सकेंगे और वह मैनेजिंग कमेटी से दब जायेंगे और जिस तरह से मैनेजिंग कमेटी चाहेगी उस तरह से वह राय देंगे। श्री मन् थोड़ा सा अगर मन वैज्ञानिक दृष्टि से इसको देखा जाय तो जिसको २ या ३ साल रिटायर होने को है, जिसको मैनेजिंग कमेटी से कुछ नौकरी लेना नहीं है, वह अधिक स्वतंत्रता के साथ राय दे सकता है या वह दे सकता है जो नया है, जिसको मैनेजिंग कमेटी की तरफ देखना है, जिसकी उन्नति और जिसका बढ़ना मैनेजिंग कमेटी की तरफ से होना है।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं नहीं समझता कि शिक्षकों में ऐसी कोई कमजोरी है कि अगर वह मैनेजिंग कमेटी में बैठे हुये हैं तो जैसा मैनेजिंग कमेटी चाहेगी वैसा उनसे कहलालेगी। लेकिन जो इस तर्क को मानते हैं जैसा कि नवलकिशोर जी ने कहा तो मैं उनके इस तर्क को लेकर यह कहता हूं कि अगर कहीं किसी विद्यालय में इतनी कमजोरी है कि वह मैनेजिंग कमेटी के मेम्बरों की तरफ देखते हैं और उस ओर राय देते हैं तो फिर अगर चुनाव होगा तो श्री मन् क्या यह स्वाभाविक बात नहीं है कि मैनेजिंग कमेटी जिसको चाहेगी उसको चुन लेगी? जो प्रणाली इस वक्त रखी गई है उसमें न तो कोई मैनेजिंग कमेटी को मौका है क्योंकि मैनेजिंग कमेटी में अच्छी तरह से इसका परिहार कर दिया गया है चाहे उनके अन्दर कितनी ही कमजोरी क्यों न हो। इस प्रणाली के द्वारा मैनेजिंग कमेटी में उन शिक्षकों को नहीं लिया जा सकता है जिनको कमेटी चाहती है। जो इतने दिनों से काम कर चुके हैं वह शिक्षकों का दृष्टिकोण अच्छी तरह से रख सकते हैं। जो दूसरे उदाहरण दिये गये कि किसी शिक्षक का वेतन नहीं बढ़ाया जाता या उसका प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता उसके लिये आगे की धाराएं हैं। इस विधेयक में जितनी व्यक्तिगत रूप से शिक्षकों की चीजें हैं उनको कोई सजा देने के सम्बन्ध में या वेतन के सम्बन्ध में उनका परिहार इसमें कर दिया गया है। इसमें तो मैनेजिंग कमेटी को बांध दिया गया है। इसमें विशेषता यही है कि मैनेजिंग कमेटी के अन्दर शिक्षकों का प्रतिनिधित्व इस तरह से कर दिया गया है जो शिक्षकों के दृष्टिकोण को रख सके। व्यक्तिगत रूप से शिक्षकों के बजाय जो यह प्रबन्ध किया जा रहा है इससे शिक्षकों के दृष्टिकोण को अच्छी तरह से रखा जा सकता है।

मेरे लायक दोस्त इस बात को स्वीकार करेंगे कि जिसको विद्यालय में रहते हुये काफी समय हो गया है और काफी अनुभव हो गया है वह शिक्षकों के दृष्टिकोण को वहां पर अच्छी तरह से रख सकते हैं बनिस्बत दूसरे के। जैसा मैंने निवेदन किया इस पर प्रवर समिति में ठंडे दिल से विचार हुआ है। जैसा कि प्रारम्भ में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि जिनको यह अनुभव है कि किस तरह से वहां पर होता है वे इस बात को उचित समझेंगे कि इस तरह से प्रतिनिधित्व शिक्षकों के लिये रखा जाय। इसीलिये मैं निवेदन करूंगा

[श्री कैलाशप्रकाश]

कि इस संशोधन को स्वीकार न किया जाय। मैं प्रस्तावक महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह अपने इस संशोधन को वापस ले लें क्योंकि इस बिल में जितना अधिक एकमत होकर चलेंगे उतना ही सुचारु रूप से इस काम का संचालन हो सकेगा।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—अध्यक्ष महोदय, कल से इस संशोधन पर विचार हो रहा है और बहुत सी बातें कही गईं। जहां तक उन बातों का उत्तर देने का प्रश्न है ऐसी कोई बात नहीं कही गई जिसका उत्तर दिया जाय। एक तर्क दिया गया कि अध्यापक कमजोर नहीं होते हैं। यह सही है लेकिन वह अपनी बात नहीं कह सकते हैं। इसमें कोई झंझट की बात नहीं है। मेरा दृष्टिकोण यह है कि अगर एक या दो अध्यापकों को प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं तो देना चाहिये और उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये लेकिन वे चुने हुये हों। वे अध्यापक सीनियर भी हो सकते हैं और जूनियर भी हो सकते हैं। बहुत कम दिनों की नौकरी वाले भी हो सकते हैं और अधिक दिनों की नौकरी वाले भी हो सकते हैं। जिन अध्यापकों की दिलचस्पी पूरे अध्यापक समाज के लिये हो और जो अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व कर सकें ऐसे अध्यापकों का चुनाव अध्यापकों में से वे करेंगे।

एक बात नवलकिशोर जी ने कही थी और वह एक तरह से आक्षेप-सा था कि जहां उपाचार्य भी नेशनल कमेटी में हैं वे कुछ ऐसे सोचते हैं कि कमेटी की रुचि के खिलाफ बात न कही जाय। मैं ऐसा नहीं कहता कि सभी उपाचार्य ऐसे हैं और न हम अध्यापकों में ही सभी ऐसे हैं कि जो बेलौस अपनी बात कह सकें। इसलिये मेरा अपना मत है कि चुने जाने से लोग उन लोगों को रख सकते हैं कि जो उनकी बात अच्छी तरह से कह सकें। अच्छे अध्यापक, विद्वान और आचार्य हैं, जो जानते-समझते सब हैं, लेकिन सभाओं में अपने विचारों को ठीक प्रकार से रख नहीं सकते। इस विधान सभा में कुछ सदस्य अपने विचारों को अच्छी प्रकार रख सकते हैं, कुछ नहीं, ऐसा हो बाहर भी हो सकता है। तो यह एक सिद्धान्त की बात है।

एक तर्क यह दिया गया कि मेरा संशोधन मान लिये जाने से पार्टीबाजी शुरू हो जायगी। जब अध्यापकों के प्रतिनिधि विधान परिषद् में जाते हैं इंटरमीडियेट बोर्ड में जाते हैं, तो कई बार उनको चुनाव करने पड़ते हैं और मुझे माननीय मंत्री जी क्षमा करेंगे, मंत्री जी के स्तर के लोग उन चुनावों में दिलचस्पी लेते हैं और अध्यापक वोटिंग करते हैं। तो अगर उससे उनमें पार्टी बन्दी नहीं आती तो इन प्रबन्ध समितियों के लिये चुनाव कराने से भी उनमें पार्टीबाजी नहीं पैदा होगी। मेरा यह विश्वास है कि इससे उनमें दलबन्दी नहीं पैदा होगी। मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा काम है कि जिससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा और मेरा ऐसा विश्वास है कि इससे अनुशासन या विद्यालय की व्यवस्था पर भी कोई असर पड़ने वाला नहीं है और प्रजातन्त्र का सिद्धान्त है कि बिना चुनाव के सही प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता, अतः मैं इस संशोधन को रखता हूं और आशा करता हूं कि सदन इसको मानेगा।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—मान्यवर, इस संशोधन को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि मैं सिद्धान्ततः विरोधी हूं इस बात का कि अध्यापकों में इस तरह से नेशनल कमेटी में प्रतिनिधि भेजने की बात को लेकर उनमें आपस में दलबन्दी हो जाय। जैसा अभी उपमंत्री जी ने कहा, हमने तो यूनिवर्सिटीज में से भी इस प्रकार का एलेक्शन हटाया है और रोटेशन सीनियारिटी से रखा है और वह इस दृष्टि से कि इसमें हित है उस संस्था का। पहले एलेक्शन था, उसको हटा कर यह रखा गया। तो इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता।

इतना ही और कहना चाहता हूं और क्षमा मांगते हुए गौरीशंकर राय जी से कि हमेशा एक लांछन लगा देने की दृष्टि कुछ अनुचित होती है। उनकी बात का कि मंत्री जी के स्तर के लोग दिलचस्पी लिया करते हैं एलेक्शन में, मैं नहीं जानता कि किस ओर संकेत है। इस प्रकार की बात गलत है।

श्री गौरीशंकर राय---मैं स्पष्टीकरण कर दूं। कांग्रेस पार्टी की ओर से एम० एल० सी० के एलेक्शन के लिये जब उम्मीदवार खड़े हुए थे तो उनकी ओर से सर्कुलर जाते थे और हमारे माननीय मंत्री जी अध्यापकों के यहां गये और यह अपील की कि इनको चुना जाय।

श्री कमलापति त्रिपाठी---यह गलत है। मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि असेम्बली और कौंसिल के जो चुनाव होते हैं यहां, उनमें भी हम इंटरेस्ट नहीं लेते।

श्री अध्यक्ष---इस पर मैं दो टुकड़ों में राय ले लेता हूं। अगर पहला टुकड़ा स्वीकृत हो जाय तो दूसरा टुकड़ा ले लूंगा। मैं पहले "who shall be elected" शब्द ले लेता हूं, क्योंकि यह सिद्धान्त की बात है। अगर यह गिर जाता है तो समझा जायगा कि दूसरा हिस्सा भी गिर गया।

प्रश्न यह है कि खंड ७ के उपखंड 16 A (I) की पंक्ति १५ में "two teachers thereof" के पश्चात "who shall be selected" के स्थान पर शब्द "who shall be elected" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---इसलिये अब यह दूसरा हिस्सा भी---"from amongst the teaching staff by majority of votes with secret ballots" अपने आप गिर गया।

इसी तरह से चूंकि एलेक्शन का प्रश्न इसमें सदन ने स्वीकार नहीं किया इसीलिये उग्रसेन जी, देवनारायण भारतीय जी और रामस्वरूप वर्मा जी के संशोधनों को उपस्थित करने की आवश्यकता अब नहीं रही।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन शाब्दिक मात्र है जो निम्न प्रकार है---

खंड ७ में प्रस्तावित धारा 16 A की उपधारा (4) की पंक्ति ३ में शब्द "changes" के स्थान पर शब्द "change" कर दिया जाय।

संशोधन केवल शाब्दिक है लेकिन कुछ लीगल डिफीकल्टीज थीं, इसलिये मैं चाहता हूं कि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाय।

श्री कैलाशप्रकाश---श्रीमन्, श्री विभव जी का संशोधन उचित ही मालूम होता है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं उसको स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ७ में प्रस्तावित धारा 16 A की उपधारा (4) की पंक्ति ३ में शब्द "changes" के स्थान पर शब्द "change" कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन् मैं, आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ में प्रस्तावित धारा १६-ए की उपधारा (4) को निकाल दिया जाय।

श्रीमन्, यह जो उपखंड (४) है वह इस प्रकार है---

"The Scheme of Administration of every institution shall be subject to the approval of the Director and no amendment to or change in the Scheme shall be made at any time without the prior approval of the Director."

श्रीमन्, मेरा विचार है कि यह जो स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन का इसमें सुधार किया गया है, यह एक बड़ा जनतांत्रिक सुधार है, जो इस विधेयक के द्वारा किया गया है। मैं इसको स्वीकार करता हूं और स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन की प्रणाली को इस विधेयक में और प्रत्येक इंटरमीडियेट कालेज की मैनेजिंग बाडी में स्वीकार कराने के लिये सरकार को बधाई देता

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

हूं। लेकिन साथ ही साथ मेरा विचार है कि स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन ऐसी स्कीम नहीं होनी चाहिये जो डायरेक्टर आफ ऐजूकेशन के द्वारा, जैसा वह कहें, वही स्कीम हो जाय, ऐसा भी न हो। पहला संशोधन तो बिल्कुल ठीक है लेकिन दूसरा संशोधन यह है कि डायरेक्टर साहब जो स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन फ्रेम कर देंगे वही स्कीम लाजिमी हालत में हर मैनेजिंग बाडी को माननी होगी। इसमें मंत्री जी यह चाहते हैं कि बिना डायरेक्टर की मर्जी के उसमें कोई अमेंडमेंट या चेन्ज न हो सकेगा। इससे टीचर्स और मैनेजिंग कमेटी, दोनों के अधिकारों का अपहरण होता है। इसको कहने से मेरा डायरेक्टर साहब अथवा उनके डायरेक्टोरेट पर कोई शुबहा नहीं है। मैं समझता हूं कि उनमें बड़े-बड़े योग्य व्यक्ति हैं। लेकिन सारी परेशानी तो यह है मैनेजिंग कमेटी और टीचर्स के अधिकारों को एक बार ही कम करके उसकी सारी शक्ति डायरेक्टर के हाथ में दें या न दें। श्रीमन्, अभी-अभी हमने देखा है कि इसी विधेयक में प्रवर समिति ने एक दूसरा सिद्धान्त स्वीकार किया है कि जब कभी किसी अध्यापक को निकाला जायगा, रिमूव किया जायगा तो उसकी अपील बजाय रीजनल डाइरेक्टर के रीजनल अपीलेट कमेटी को जायगी। तो जब प्रवर समिति ने एक सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है कि अपील डिप्टी-डायरेक्टर या डायरेक्टर खुद नहीं सुनेंगे बल्कि रीजनल अपीलेट कमेटी सुनेगी और इसका जनतंत्रीकरण किया है तो क्यों नहीं हम ऐसा विधान करें कि अगर स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन में कोई परिवर्तन करना हो या किया जाय तो उसके लिये भी कोई कमेटी हो जिसमें डायरेक्टर भी रहे, मैनेजिंग कमेटी का प्रतिनिधि भी रहे और अध्यापकों का प्रतिनिधि भी रहे। स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं, कोई ऐसा विषय भी नहीं है जिसको कोई यह कह दे कि डायरेक्टर साहब ने सरक्युलर निकाल दिया कि इस तरह के फार्म में सब लोग उसे भरें, वैसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर मैनेजिंग कमेटी को स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन बनाने की जरूरत नहीं थी। फिर यह होता कि हर स्कूल के लिये स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर महोदय बनाते और जो स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर महोदय बनावें, जहां-जहां जैसी-जैसी संस्थायें हों उसमें वे ऐडिशन या सबस्टिट्यूशन करते जायं और स्कीम अपने आप संशोधित होती जाय। इसको तो इस तरह से कहा जा सकता है कि मैनेजमेंट कमेटी स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन नहीं बनायेगी बल्कि डायरेक्टर महोदय ही उसे बनायेंगे। सीधे तरीके से न कह कर उल्टे तरीके से यह बात कही गयी है।

श्रीमन्, आगे चल कर स्टेट अपीलेट कमेटी की भी व्यवस्था की गयी है। तो अगर सरकार ने इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है तो आनुषंगिक संशोधन इस प्रकार का हो कि बिना रीजनल कमेटी या स्टेट रीजनल कमेटी की स्वीकृति या सिफारिश के स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन में संशोधन नहीं हो सकता। ऐसी व्यवस्था की जा सकती है और हमने डिसमिसल और रिमूवल के बारे में ऐसी व्यवस्था की भी है। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी का अधिक समय न लेते हुए मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि यह एक सिद्धान्त का प्रश्न है और डायरेक्टर महोदय के पास या उनके कार्यालय के पास इतना समय कहां है कि वे सब स्कूलों के लिये स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन बनाते फिरें, देखते फिरें, संशोधन करते फिरें और उनसे एक्सप्लेनेशन मांगते फिरें क्योंकि सारे प्रदेश में हजारों तो विद्यालय हैं। इसलिये इस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है और मेरे इस संशोधन को स्वीकार करने की आवश्यकता है।

श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। माननीय नारायणदत्त जी ने इस बात पर माननीय शिक्षा मंत्री जी को बधाई दी कि वे स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन इस विधेयक में लाये। जब हमने इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया कि स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन को रखना है तो उसके दो ही अर्थ हो सकते हैं। एक तो यह कि जितनी स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन प्रदेश में हों, हम यह देखें कि वे करीब-करीब एक ही ढांचे पर बनें और उसके साथ-साथ यह भी देखें कि वे स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन ठीक भी हैं या नहीं। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में जितनी शिक्षा संस्थायें हैं, उनमें बहुत सी संस्थायें ऐसी हैं

जो ऐसे व्यक्तियों द्वारा चल रही हैं जिनको स्कीम बनाने का कोई अनुभव नहीं है और इस तरह से मनमाने तरीके से वहां कायदे बना दिये जाते हैं। उदाहरणार्थ यह बना दिया जाता है कि यह व्यक्ति आजीवन इसका मैनेजर रहे, इसके बाद इसका लड़का रहे और उसके बाद इसका पोता रहे। तो इसलिये यह जरूरी है कि किसी स्तर पर स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन को देखा जाय और फिर उनको करेक्ट किया जाय। दूसरी बात स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन बनाने वालों के लिये जरूरी है कि वे देखें कि उस संस्था का संचालन उस स्कीम के अनुसार होता है या नहीं होता है।

माननीय नारायणदत्त जी के संशोधन की बात मेरी समझ में नहीं आयी। यह होता कि संचालक की जगह एक कमेटी हो या संचालक को ऐडवाइस करने के लिये एक कमेटी हो, इस पर विचार किया जाय, जैसा कि उन्होंने अपने भाषण में कहा है तो बात समझ में आ सकती थी लेकिन इससे वह बिल्कुल खत्म हो जाता है।

दूसरी बात यह कही गयी कि इससे यह हो जायगा कि संचालक अपनी मनमानी करेंगे और इसका नतीजा यह होगा कि स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन संस्थायें न बना कर संचालक बना दें। परन्तु प्रवर समिति में इस बात पर बहुत बहस हुई।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इसका जिक्र नहीं होना चाहिये कि अन्दर क्या बात हुई, बहस हुई इतना ही आप कह सकते हैं।

श्री जगदीश प्रसाद—संचालक को सब अधिकार दिये गये, यह सब इस संशोधन विधेयक में ठीक कर दिया गया है। पहले बिल में यह था कि जब संचालक के पास स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन जाय तो वह उसमें तब्दीली करेगा और मैनेजमेंट को इत्तिला देगा। मैनेजमेंट को आपत्ति होगी तो रेप्रेजेंटेशन करेगा। फिर डाइरेक्टर जो चाहे कर दे। उसको इसमें करेक्ट कर दिया गया है। अब संचालक जब कोई तब्दीली करना चाहेगा तो जरूर वह मनेजमेंट को इस बात का अवसर देगा कि वह अपना रिप्रेजेंटेशन कर सके और अपना व्यू रख सके।

एक बात यह भी है और मैं इस अवसर पर आपके द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री को सुझाव दूं कि स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन बनाने में यदि सरकार या संचालक कोई ऐसा पैटर्न रख दे जिसे तमाम संस्थायें अपना सकें तो बहुत अच्छा होगा। इसके लिये जो संशोधन आवश्यक समझा जाय वह कर दिया जाय लेकिन इस संशोधन का मैं विरोध करता हूं।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक में मैं यह समझता हूं कि धारा १६–ए इसकी प्राण है और १६–ए की उपधारा ४ उस धारा का मुख्य आधार है। मैं नहीं समझता कि अध्यापकवर्ग माननीय नारायणदत्त जी के इस संशोधन को किस निगाह से देखेगा। इस धारा के आने का कारण ही यह था कि इस प्रकार का सन्देह था कि जो प्रदेश में संस्थायें चल रही हैं उनमें जैसी स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन जैसा होनी चाहिये वैसी नहीं हैं या किन्हीं संस्थाओं में तो स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन है ही नहीं। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिये इस विधेयक में यह धारा लाई गयी जिसके द्वारा यह अनिवार्य किया गया कि कोई स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन हो।

जब इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया गया, इस पर बधाई दी गयी तो मैं यह नहीं समझ सका कि आखिर उस स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन का क्या अभिप्राय रह जायगा जब कोई अधिकारी या आथरिटी उस स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन के ऐप्रूवल के लिये नहीं रखी जायगी। यों तो आज भी कुछ न कुछ स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन हर इंस्टीटयूशन का होता ही है और है लेकिन सवाल यह है कि इस विधेयक के द्वारा यह निश्चय किया गया कि स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से हो और उसको स्वीकार करने का अधिकार निहित हो सर्वोच्च शिक्षा अधिकारी यानी डायरेक्टर में। श्रीमन्, जब तक हम इस अधिकार को उनमें निहित न करें तब तक मेरा विनम्र निवेदन है कि स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन का कोई मतलब ही नहीं रह जायगा। आखिर कोई तो अधिकारी होगा ही जो स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन को देखेगा।

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

जब इस सिद्धान्त से हम देखते हैं तो इस उपधारा ४ को, जिसे माननीय नारायणदत्त जी ने निकालने का प्रस्ताव किया है, रखना नितांन्त आवश्यक है। मुझे इस बात में आरम्भ में सन्देह था कि इस विधेयक में इस धारा के रखने की आवश्यकता है, लेकिन समय-समय पर जो इसमें वादविवाद हुआ और प्रकाश पड़ा उससे आज मैं यह समझता हूं कि इसकी आवश्यकता कदाचित् है। अभी माननीय नरायणदत्त जी ने यह संकेत भी किया कि कोई एक स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन सारी संस्थाओं के लिये निर्धारित की जाती और माननीय जगदीश प्रसाद जी ने भी कुछ इसका समर्थन किया। लेकिन श्रीमन् ? मैं यह निवेदन करता हूं कि यदि ऐसा होता तो बहुत ही गलत होता और ऐसा न होना सर्वथा उचित है। वह गलत इसलिए होता कि जितने प्राइवेट एडेड इंस्टीटयूशंस हमारे प्रदेश में हैं भिन्न-भिन्न प्रकार के ट्रस्ट्स के आधार पर उनका जन्म हुआ है। अतः उनके लिये यह असम्भव है कि वह किसी एक ऐसी स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन को अपने यहां चला सकें और उसके आधार पर अपना कार्य निर्धारित कर सकें। इसलिये यह छूट या इजाजत देना कि वह जिस प्रकार की स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन चाहें अपने दिक्कतों को, अपने आधार जो ट्रस्ट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए बनायें तो यह तो उचित ही था। यह करके माननीय मंत्री जी ने वह दरवाजा खुला रखा जिसमें कोई दिक्कत इस प्रकार की न पड़े। अब इस अधिकार को देने के बाद फिर स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन का ऐप्रूवल डाइरेक्टर में निहित कर दिया गया और इस धारा ४ के बाद जो और उपधारायें हैं और प्रतिबन्ध हैं उनके बाद भी प्रतिबन्ध डाइरेक्टर के ऊपर लगाया गया है।

एक बात यह कही गयी कि समय डारेक्टर के पास इतना कहां होगा कि वह सारे इंस्टीटयूशन्स की स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन को देख सकें। मैं भी इस आशंका को देखता हूं और इस तरफ माननीय मंत्री जी को भी पूरा ध्यान देना पड़ेगा। इस बात की पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन जो विभिन्न विद्यालयों से आये वह समय के अभाव में देर तक पड़ी न रहे। लेकिन आगे देखा जाय तो इसी में एक प्राविजो है, उसमें उसके लिये नोट कर दिया गया है कि अगर कोई इंस्टीटयूटशन स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन प्रस्तुत करे और छः मास तक डाइरेक्टर महोदय की तरफ से कोई आपत्ति न हो उस स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन पर तो यह समझा जायगा कि वह स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन स्वीकार है। मैं यह समझता हूं और माननीय नारायणदत्त जी स्वयं यह समझेंगे कि अगर यह क्लाज निकाल दिया जाय तो फिर स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन पर किसकी अनुमति प्राप्त होगी ? फिर अपनी-अपनी ढपली अपना-अपना राग होगा। फिर तो अगर वह किसी गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो उनको रोकने का कोई अधिकार ही नहीं रहेगा। फिर जो और क्लाज हैं जिनमें यह अधिकार दिया गया है कि डाइरेक्टर को यह अधिकार होगा कि वह उनमें कुछ कमी बेशी कर सकते हैं, फिर उसका अधिकार ही उनमें नहीं रहेगा। जब उनकी अनुमति का अधिकार उनमें निहित नहीं है तब उन्हें किसी परिवर्तन, संशोधन या सजेशन का अधिकार भी नहीं रहेगा। इन तमाम कारणों से मैं माननीय नारायणदत्त जी के संशोधन का विरोध करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इसको इसी रूप में पास किया जाय।

श्री रामस्वरूप वर्मा---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय जगदीश शरण जी के भाषण को बड़े ध्यान से सुना और मुझे खेद हुआ कि उन्होंने जो माननीय नारायणदत्त जीने संशोधन प्रस्तुत किया है उसको ध्यान से पढ़ा नहीं और न उसके क्या परिणाम होंगे उनके बारे में सोचा। श्रीमन्, इसमें जो धारा ४ है, जो संशोधित रूप उसका हो गया है वह यों है --

"The Scheme of Administration of every institution shall be subject to the approval of the Director and no amendment to or changes in the Scheme shall be made at any time without the prior approval of the Director."

तो अभी तक तो उसमें चेंजेज के लिये था। पहले गवर्नमेन्ट ने यह किया कि जब एक से अधिक चेंजेज होंगे तो डाइरेक्टर की ऐप्रूवल लेनी पड़ेगी। खैर, एक संशोधन स्वीकार करके

यह किया कि एक भी चेंज हो, एक भी अमेंडमट हो तो डाइरेक्टर की ऐप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो इससे मंशा साफ हो जाता है कि अब सरकारीकरण यह सरकार करना चाहती है।

जगदीशशरण जी ने जो दूसरी बात कही उसके सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है, उन्होंने कहा कि आगे धारा है कि अगर छः महीने तक डाइरेक्टर उस सम्बन्ध में कोई सम्मति न दे सके तो फिर वह उसी रूप में स्वीकृत हो जायगा। श्रीमन्, मुझे आशंका है कि जब सरकार किसी इंस्टीट्यूशन को या जैसे कि माननीय गौरीशंकर राय जी ने कहा कि कभी-कभी मंत्रीजी की सीमा के लोग भी हस्तक्षेप कर देते हैं इन मसलों में, तो अगर कहीं इस तरह का हस्तक्षेप हुआ और जैसा कि मैंने पहले वाले संशोधन में इंगित किया था कि पुखरायां के ऐडमिनिस्ट्रेशन में कितनी धांधली हो रही है, बार-बार लिखा गया लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई सुविधा नहीं मिली टीचर्स के लिये, तो जहां ऐसी बात हो कि सरकारी पक्ष जिससे संबंधित हो या दिलचस्पी रखता हो तो उनके चाहे जैसे नियम हों डायरेक्टर की तरफ से कुछ किया नहीं जायगा और ६ महीने बाद उनके नियम ज्यों के त्यों बन जायेंगे। तो उनके लिये तो यह सुविधा हो जायगी और जो दूसरे इंस्टीट्यूशन्स हैं, जो अच्छी व्यवस्था चाहते हैं और वे किसी तरह से सरकारी पक्ष के खिलाफ पड़ते हैं तो उनके ऊपर फौरन लागू हो जायगा। कोई हमारे पास इसकी रोक-टोक नहीं है कि संचालक महोदय ६ महीने तक अनुमति न दें तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही होगी? ऐसी धाराओं का, जिनका आमतौर से देखा जाता है, प्रयोग सरकारी पक्ष में हो जाता है तो मुझे बहुत बड़ी आशंका है कि इसका भी प्रयोग हो सकता है। जैसा नारायणदत्त जी न कहा डाइरेक्टर के हाथ में पावर्स पूरी न दी जायं, इनमें एक प्रकार का स्वायत्त शासन रहे और एक प्रतिनिधित्व मैनेजिंग कमेटी का हो, एक अध्यापकों का हो, एक सरकार का हो और एक कोई ऐसा आदमी नियुक्त कर लिया जाय और उनकी एक कमेटी बना दी जाय और वह इस बात की जांच करे कि किसी स्कूल की स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन उचित है या नहीं; यह जो परिवर्तन करना चाहते हैं वह इस योग्य है या नहीं। तो इसमें चूंकि सब का प्रतिनिधित्व होगा इसलिये यह जनतांत्रिक होगा और साथ ही साथ एक आदर्श भी रहेगा।

तीसरी बात यह है कि संचालक महोदय पर अनावश्यक भार भी नहीं पड़ेगा। अन्यथा सरकार जिस अपने लाड़ले इंस्टीट्यूशन को चाहेगी उसकी स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन दबा दी जायेगी और ६ महीने बाद उनके नियम ज्यों के त्यों स्वीकृत हो जायेंगे, यह शंका भी हट जायगी। इस संशोधन को न मानने में, मैं नहीं समझता कौन सा औचित्य है? अगर एक अपीलेट कमेटी बना दी जाय, जैसा आगे नारायणदत्त जी का संशोधन है, जिसमें डायरेक्टर रहे, मैनेजिंग कमेटी का प्रतिनिधि हो, अध्यापकों का प्रतिनिधि हो और एक जज हो, अगर इस तरह की कमेटी बन जाय जो स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में जो सुधार हों उनके संबंध में अपने विचार व्यक्त करके अपनी ऐप्रूवल दे, तो मैं समझता हूं वह ज्यादा प्रजातांत्रिक होगा और उनकी अटानोमी भी कायम रहेगी। इन शब्दों के साथ में माननीय तिवारी जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय तिवारी जी के संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय तिवारी जी के संशोधन से यह प्रतीत होता है कि उनके या उनके दल के सदस्यों को बिला कारण एक आशंका हृदय में आयी है। उन्होंने अपने संशोधन द्वारा यह नहीं बताया कि क्लाज (४) अगर हटा दिया जाये तो उसके स्थान पर कौन सी व्यवस्था की जायगी? अध्यक्ष महोदय, यदि सेक्शन १६ को सम्पूर्ण रूप से पढ़ा जाय और उसके सब-सेक्शन (२) को पढ़ा जाय तो सब-सेक्शन (४) का वहां रहना आवश्यक हो जाता है। कारण यह है कि सब-सेक्शन (२) यह कहता है: "The Scheme of Administration shall also describe, subject to any regulations.....

तो कुछ रेगुलेशन्स जो बने होंगे उनके अन्तर्गत एक स्कीम बनेगी। जब हम एक चीज को मान कर चलते हैं कि जो स्कीम बनेगी उसकी कुछ रूप-रेखा निश्चित होगी, और जैसा अभी एक

[श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल]

माननीय सदस्य ने कहा कि कुछ उसके रूल्स बनें, रेगुलेशन्स बनें, उसके अन्तर्गत वह ऐडमिनिस्ट्रेशन की स्कीम बनेगी, तो फिर उसके साथ-साथ यह भी आवश्यक होता है कि आगे चलकर उसमें कुछ परिवर्तन होने की जरूरत पड़े। अगर यह मालूम हो कि उसकी आवश्यकता है, तो उस आवश्यकता कि जानकारी रखने वाला और उस स्कीम से सुपरिचित व्यक्ति का रहना भी आवश्यक है और इसे भी हमने स्वीकार किया है। ऐसे व्यक्ति की स्वीकृति भी उचित होगी इसके माने यह होते हैं। अब सब-सेक्शन (४) देखा जाय तो उसके २ भाग हैं, एक हिस्सा तो ऊपर वाला है कि जो स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन होगी वह सबजेक्ट टु ऐप्रूवल आफ दि डायरेक्टर होगी और उसमें अगर कोई परिवर्तन होना है तो उसकी भी सूचना डायरेक्टर को होनी चाहिये ताकि वह उसे समझें कि यदि परिवर्तन उचित है तो वह उसकी स्वीकृति दे सकें। इसमें कोई अनुचित बात नहीं है जो सब-सेक्शन (४) में रखी गई है। माननीय नारायण दत्त जी ने यह भी कहा कि हम डेमोक्रेसी के उसूल को मानते हैं और इसमें भी डेमोक्रेसी अवश्य रखनी चाहिये। मैं नम्र निवेदन करूंगा कि इसमें कोई कमेटियों के निर्माण की बात नहीं है। यह तो केवल संचालन की बात है। यदि हमें किसी संस्था का निर्माण करना हो तो उसमें शुरू से आखिर तक, १६ आना डेमोक्रेसी की बातें रहें तो वह मान्य हो सकती हैं लेकिन जहां संचालन का विषय आता है वहां उस में कुछ थोड़ा सा परिवर्तन करने की आवश्यकता रहती है। मेरे विचार में ऐडमिनिस्ट्रेशन में डेमोक्रेसी कदम-कदम पर सफल नहीं हो सकती। इसलिये यह जो भावना है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन में भी हर जगह डेमोक्रेसी रहे यह उचित नहीं मालूम होती। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और यह निवेदन करता हूं कि यह सब-सेक्शन (४) जैसा है वैसा ही उचित है और यह इसी तरह से रहना चाहिये।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--अध्यक्ष महोदय, मुझे श्री नारायण दत्त जी के इस संशोधन को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि उस ओर से बराबर लोग कहते हैं कि प्रबंध समितियां ठीक से काम नहीं करती हैं और जब सरकार की ओर से इतना उपयोगी प्रस्ताव आता है तो उसका इस तरह से विरोध किया जाता है। मेरा ऐसा खयाल है कि उन्होंने शायद पूरे विधेयक को ठीक से पढ़ा भी नहीं है। मैं समझता हूं कि सन् १९३९ में जब श्री पावल प्राइस डायरेक्टर थे उस समय भी एक कमेटी बनी थी। उसकी भी यही राय थी कि कोई ऐसी व्यवस्था लाई जाय जिससे सारे प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा की ठीक से व्यवस्था करन के लिये एकरूपता लाने की बात हो। उसके बाद सन् १९४७ में रघुकुल तिलक कमेटी बनी। उसकी भी ऐसी सिफारिश थी कि प्रबंध समितियों में एकरूपता लाई जाय। उसके बाद मुदालियर कमीशन ने भी स्पष्ट लिखा है कि सारे प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा की ऐसी व्यवस्था हो कि प्रबन्ध समितियों में एकरूपता आये।

अब तक होता यह रहा है कि ज्वाइंट स्टाक कम्पनीज ऐक्ट के अन्दर एक घर के ही ५-७ आदमी रजिस्टर हो जाते थे या कोई भी एक दल के आदमी मिल कर समिति बना लेते थे, एक परिवार के लोग ही हमेशा उस में बने रहते थे और उस समय वहां इतनी खराबी और गड़बड़ी होती थी कि सब लोग जान भी नहीं पाते थे कि क्या हो रहा है? इसके अलावा जो माध्यमिक शिक्षक संघ हैं उसने भी कहा है कि इन प्रबन्ध समितियों में एकरूपता लाना आवश्यक है। जब सेलेक्ट कमेटी में भी यह बात उठी थी तो सभी लोग एक मत थे कि उनमें एकरूपता लाई जाय और एक स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन बनाई जाय। अगर कोई स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन किसी विद्यालय की है तो वह जो रेगुलेशन्स हैं उन से डिसाइड होगी। जो बाद को इसके नियम बनेंगे उनके आधार पर सारे प्रदेश में किस तरह से समितियों में एकरूपता लायी जा सकेगी, बहुत सी कमेटियां हैं जो उसमें कनफार्म करती हैं, उनके लिये तो ठीक है, लेकिन जहां गड़बड़ी है, एकरूपता नहीं है वहां डायरेक्टर उसको ठीक करेगा। पांचवें खंड को निकालने के तो अर्थ होते हैं, और मुझे आश्चर्य है, कि इसको निकालने के बाद तो सारा विधेयक ही बिलकुल विकृत हो जायगा। इसलिये इसके कुछ अर्थ नहीं होते। मुझे आश्चर्य

है कि जो अध्यापकों के हित में इतना आवश्यक और उपयोगी यह प्रावीजन है और हम सभी भाई चाहते हैं कि हम अध्यापकों को सिक्योरिटी आफ सर्विस करें, अगर एकरूपता नहीं होगी समितियों में तो यह कैसे व्यवस्था हो सकेगी? सात-आठ एक ही परिवार के लोग होंगे और एक कठिनाई यह होगी कि कोई माडेल व्यवस्था नहीं हो सकेगी। प्रबन्ध समितियों की गड़बड़ी की वजह से सिक्योरिटी जो हम उनके लिये चाहते हैं वह नष्ट हो जायगी। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि वह अपने प्रस्ताव को वापस ले लेंगे। अगर वापस नहीं लेंगे तो अध्यापकों का बड़ा अहित हो जायगा।

रामस्वरूप वर्मा जी ने कहा कि उसमें सरकारीकरण की बात है, यह बात नहीं है। इंगलैण्ड के शिक्षा मंत्री आर० ए० बटलर ने १९४७ में वहां ब्रिटिश एजूकेशन ऐक्ट पास कराया था और एक कंट्रोल्ड स्कीम आफ एजूकेशन वहां चलायी था। उन्होंने प्रतिबन्ध लगा दिया कि किस तरह से पैटर्न आफ मैनेजमेंट हो, कैसे सर्विस सिक्योर हो सकती है और उन समितियों में कौन लिया जाता है, क्या उनकी व्यवस्था हो। तो यह सब बड़ा आवश्यक है। अगर हम कोई स्कीम आफ एजूकेशन न रखें तो सारा ढांचा खत्म हो जाता है। इसलिये मैं नारायण दत्त जी के इस संशोधन का विरोध करता हूं और और उनसे मैं तो निवेदन करता हूं कि वह अध्यापकों के हित का ध्यान रखते हुये इसको वापस ले लें।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, माननीय तिवारी जी के संशोधन पर मैं नहीं समझता था कि इतने वाद-विवाद की आवश्यकता थी, लेकिन इसके सम्बन्ध में कुछ बातें माननीय रामस्वरूप जी ने कहीं जो निर्मूल थी उन्होंने यह फरमाया कि सरकार इसके द्वारा सरकारीकरण करना चाहती है। इससे पहले, श्रीमन्, यहां बहुत चर्चा इस बात की हुई कि अध्यापकों के हित में क्या-क्या बातें होनी चाहिये, तो मैं उनको यह बतलाना चाहता हूं कि इन स्कूलों और कालिजों के अध्यापकों की आम तौर से यह राय है कि आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स का राष्ट्रीयकरण कर दीजिये और सरकार ने उसको स्वीकार नहीं किया। तो जहां तक सवाल राष्ट्रीयकरण होने का था, अगर सरकार करती तो वह भी उनकी मांग के अनुकूल ही होता, परन्तु ऐसा नहीं किया गया। जैसा कि भाई भगवती प्रसाद शुक्ल जी ने बतलाया कि इसका जो खंड २ है उसमें स्पष्ट है कि स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन जो बनेगी वह किसी न किसी नियम के अनुसार बनेगी। तो कोई न कोई आथरिटी ऐसी होनी चाहिये जो इस बात को देखे कि यह नियम के अनुसार बनी है या नहीं। इसलिये इसके अन्दर डायरेक्टर को अधिकार दिया गया। अगर स्कीम बनने के बाद यदि जैसी तरमीमें चाहे प्रबंधक समिति कर सके, इस तरह की आजादी दे दी जाय तो जो खास मंशा है वही फ्रस्ट्रेट हो जायगा। तो इन दो बातों की वजह से डायरेक्टर को अधिकार दिया कि वह स्कीम की स्वीकृति प्रदान करेगा तथा बिना उसकी अनुमति के उसमें परिवर्तन न हो सकेगा। जैसा कि रामस्वरूप जी ने कहा अगर हम सभी सरकारी कर्मचारियों के प्रति अविश्वास को लेकर चलें तो शासन चलने वाला नहीं है। एक बात उन्होंने और कही कि ६ महीने तक डायरेक्टर स्कीम स्वीकार न करे तो आपने क्या दंड उसके लिये रखा? यह सही है कि सरकारी कर्मचारियों को छोटी-मोटी बातों में दंड नहीं दिया जाता है, मगर इतना जरूर है कि अगर ६ महीने तक डायरेक्टर उसमें कोई तरमीम पेश न करे या तो स्वीकृति न भेजे तो जो स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन संस्था भेजेगी उसको ज्यों का त्यों स्वीकार किया गया समझा जायगा। इसलिये कोई लम्बी-चौड़ी बात नहीं है, सीधी-साधी बात है और और जो आशंका तिवारी जी और अन्य सदस्यों को है वह निर्मूल है। जैसी सब ने दरख्वास्त की है, मैं भी करता हूं कि तिवारी जी उस संशोधन को वापस ले लें। या फिर वह यह कहें कि हम स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन चाहते ही नहीं हैं। अगर वह चाहते हैं तो यह आवश्यक है। क्योंकि अगर इसको नहीं रखेंगे तो कोई न कोई प्रेसक्राइब्ड आथरिटी रखनी पड़ेगी। इसलिये मैं चाहता हूं और माननीय तिवारी जी से दरख्वास्त करता हूं कि वह इसको वापस ले लें।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नवल किशोर जी की बात सुनकर मुझे कुछ ऐसा लगा कि मैं एजूकेशन बिल पर कुछ कह सकूं। मैं जल्दी हिम्मत

[श्री गेंदा सिंह]

नहीं करता हूं शिक्षा सम्बन्धी बातों में कुछ कहने की। एक बात मुझे ऐसी लगी कि माननीय नवलकिशोर जी ने जो कुछ कहा है उससे मैंने अंदाजा किया है कि हमारे प्रदेश के अध्यापक वर्ग के हित को ध्यान में रखते हुये यह विधेयक आया है।

श्री नवल किशोर—जी नहीं, मैंने यह कहा था कि अध्यापकों को राष्ट्रीयकरण की मांग थी।

श्री गेंदा सिंह—मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैंने इस विधेयक को पढ़ने की कोशिश की और मैंने पूरे विधेयक में कहीं भी नहीं पाया कि जो मुख्य मांग अध्यापकों की है कि सरकारी स्कूलों में और निजी स्कूलों में अध्यापकों के वेतन में जो डिसपैरिटी है, उसको दूर करने की कोशिश की गई हो। अगर की गई हो तो माननीय दीपनारायण जी मुझे समझा दें और मैं समझता हूं कि माननीय नारायणदत्त जी से अपील करना मुनासिब होता अगर इसकी गुंजाइश की जाती। माननीय शिक्षा मंत्री जी विश्वास दिला सकते हैं और आश्वासन दे सकते हैं। अध्यापकों की नौकरी की गारेन्टी बड़ी भारी चीज है और इसके लिये ऐसा किया जाय जिससे अध्यापक का कार्य चलता रहे और वह अपनी योग्यता कायम रख सकें। इसका भी ध्यान रखा जाय। अगर यह बात स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन में कही जाती तो विचार करने की एक बात हो सकती थी। स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन को आंख मूंद कर मान लिया जाय, यह कैसे हो सकता है ? सरकार का आग्रह यह है कि जिस प्रकार की स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन हो वह इंकार करना चाहें तो इंकार कर दें और परिवर्तन करना चाहें तो परिवर्तन कर दें। मनुष्य-मनुष्य ही है और आंख मूंद कर विश्वास करना मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी में नहीं होता है। मिनिस्टर बन जाते हैं और बहुमत की वोटों से मिनिस्टर बन जाने के बाद, मैं किसी के ज्ञान को चैलेंज नहीं करता हूं। लेकिन एक्जीक्यूटिव के जुल्मों को रोकने के लिये जुडीशियरी का प्रबन्ध किया गया है और सरकार की जिम्मेदारी है कि सारे देश के शासन को चलाये और बेहबूदी को देखे। जिस कमेटी के चेयरमैन नवलकिशोर जी हैं वह सरकारी कामों की आलोचना करते हैं और मुझे इसकी जानकारी है कि उनकी आलोचना की कभी-कभी रत्ती भर भी परवाह नहीं की जाती है। मैं जानता हूं और नवलकिशोर जी कह दें कि उनकी हर बात की परवाह की जाती है तो यह बात हो सकती है लेकिन नहीं की जाती है। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी का चेयरमैन आपकी तरफ का नहीं बनाया जाता है और ऐसे आदमी को बनाया जाता है कि अगर कोई बुराई हो तो वह चाहते हैं कि पकड़ ली जाय। किसी व्यक्ति को आंख मूंदकर विश्वास करने का उपदेश न दिया जाय। डेमोक्रेसी का यह सिद्धांत है कि कुछ चेक लगावें लोगों के ऊपर चाहे कितना बड़ा से बड़ा आदमी हो। लेकिन चेक लगाने के लिये मैं एक वाया मीडिया निकालने की कोशिश करूंगा कि उस क्लाज की जगह पर कोई दूसरा क्लाज आये जिसमें कोई रास्ता निकल सके कि एक दम से आंख मूंद कर के इस प्रकार का अधिकार डायरेक्टर को न दिया जाय। तो मैं समझता हूं कि उधर के बैठने वाले इस पर विचार करेंगे। लेकिन इसमें एक दम से ऐसा आंख मूंद कर अधिकार है डाइरेक्टर को कि उसको भगवान समझ लिया गया है। वह गलती कर ही नहीं सकता। अगर सरकार यह समझती है कि जैसी समझ हमारे पास नहीं है और यह समझना कि हम भूल नहीं करेंगे और जिस वक्त माननीय नवलकिशोर जी कहते हैं तो वह ध्यान में रखें कि हम लोग बहुत गौर से सुनते हैं। तो उनको ऐसी बात कहना चाहिये जिसकी हम कुछ वकअत कर सकें और वकअत हम तभी करेंगे जबकि आंख मूंद करके शिक्षा संचालक महोदय को अधिकार न दिया जाय क्योंकि शिक्षा संचालक गलती कर सकता है। वह कहेंगे कि फिर सरकार तो है ही। लेकिन बहुत लम्बा अरसा हो जाता है। लोगों को कष्ट होता है। इसलिये उस पर भी लगाम लगाने की कोशिश की जाय।

श्री नवल किशोर—श्रीमन, मैं जरा सा पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे दूं।

मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं माननीय गेंदा सिंह जी से कि मैंने उनसे यह कभी नहीं कहा अपने भाषण में कि सरकार ने अध्यापकों की तमाम मांगों को स्वीकार किया है। मैंने सिर्फ यह कहा कि उनकी एक मुख्य मांग यह भी थी कि जो प्रबन्ध है उसका राष्ट्रीयकरण किया जाय। उसको ध्यान में रखते हुये राष्ट्रीयकरण तो नहीं कर सके, लेकिन स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन की बात रखी गयी। यह भी मैंने नहीं कहा कि आंख मींच कर डायरेक्टर को अधिकार दे दिया जाय। मैंने यह कहा कि जब स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन है तो उसको स्वीकार करने की आथरिटी कोई न कोई होनी चाहिये। हमने समझा है कि डाइरेक्टर उपयुक्त आथरिटी है।

श्री अध्यक्ष—श्री उग्रसेन, अब आप अपना भाषण बाद में जारी रखेंगे क्योंकि एक ही मिनट रह गया है।

(इस समय १ बज कर १४ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १७ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

परमात्मानंद सिंह की मृत्यु के कारण सदन को स्थगित करने का प्रस्ताव

सहकारिता उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—अधिष्ठाता महोदय, कदाचित् यह समाचार इस सदन को मिल चुका है कि आज हमारे प्रदेश के उपमंत्री श्री परमात्मानन्द सिंह जी की अत्यन्त दुःखद मृत्यु हो गई है। इसके सम्बन्ध में औपचारिक रूप से तो कल हम लोग चर्चा करेंगे किन्तु मेरा निवेदन यह है कि यह सदन आज के लिये अब स्थगित कर दिया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—मैं तो माननीय परमात्मानन्द सिंह जी की दुखद मृत्यु का समाचार सुन कर स्तब्ध रह गया। मैं माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य के प्रस्ताव से पूर्णतया सहमत हूं और आपसे मैं भी यही निवेदन करता हूं कि यह सदन अब स्थगित कर दिया जाय।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—मैं भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय परमात्मानन्द सिंह जी की दुःखद मृत्यु का समाचार मुझे भी प्राप्त हुआ है और मुझे अत्यन्त दुःख हुआ। मैं भी इस प्रस्ताव से सहमत हूं कि आज सदन स्थगित कर दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—कुछ ऐसा मालूम होता है कि सदन की यह इच्छा है कि आज सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाय। इसलिये मैं आज सदन की कार्यवाही स्थगित करता हूं और हम लोग अब कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन २ बजकर १८ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२७ अगस्त, १९५८।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२१ पर)

समाज कल्याण विभाग द्वारा गोरखपुर में नगर समाज कल्याण समिति की स्थापना की गई जिसके अन्तर्गत मोहल्ला समाज कल्याण समितियों निम्नलिखित १० मोहल्लों में कार्य कर रही हैं:—

१—जगन्नाथपुर, २—खुर्रमपुर, (३)—असुरन, (४)—तुर्कमानपुर, ५—बसंतपुर, ६—हजारीपुर, ७—जटेपुर, ८—जाफरा बाजार, ९—बक्शीपुर तथा १०—हासूपुर ।

इस विभाग द्वारा गोरखपुर शहर की गैर-सरकारी समाज सेवी संस्थाओं को अनुदान भी दिये गये ।

२५ जनवरी, १९५७ को गोरखपुर में एक समाज कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें जनता को समाज कल्याण विभाग के उद्देश्य, वर्तमान तथा भावी कार्यक्रम से अवगत कराया गया । १९५७–५८ में कौड़ीराम (तहसील बांसगांव) में एक ग्रामीण युवक शिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था जिसमें ५० ग्रामीण युवकों ने भाग लिया ।

महिला मंगल योजना के अन्तर्गत गोरखपुर जिले में १९५५–५६ में ६ केन्द्र, १९५६–५७ में ९ केन्द्र और १९५७–५८ में १० केन्द्र चलाये गये । उक्त योजना के अन्तर्गत १९५५–५६ में २ ग्रामीण महिला शिविर और १९५६–५७ में ५ ग्रामीण महिला शिविर चलाये गये । उसी योजना के अन्तर्गत १९५७–५८ में क्षेत्रीय विकास प्रदर्शिनी तथा महिला सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित किये गये । १९५५–५६ तथा १९५६–५७ में आयोजित गतिशील-(mobile) महिला शिविरों का विवरण निम्नप्रकार है—

१९५५–५६		शिविरिकाओं की संख्या
शिविर का नाम		
१—गोधबल (तहसील महाराजगंज)	.. ..	३०
२—सुमेरगढ़ (तहसील महाराजगंज)	..	३०
योग	..	६०
१९५६–५७		
१—बालापार (तहसील सदर)	.. ..	३०
२—हाफिजनगर (तहसील सदर)	.. ..	३०
३—भरबतिया (तहसील बांसगांव)	.. ..	३०
४—बिशनपुर (तहसील बांसगांव)	.. ..	३०
५—हरबंसपुर (तहसील फरेन्दा)	.. ..	३०
योग	..	१५०

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत गोरखपुर में एक राजकीय अंध विद्यालय खोला गया है । सामाजिक व नैतिक स्वास्थ्य रक्षा तथा उत्तर रक्षा योजना के अन्तर्गत महिलाओं के लिये एक जिला शरणालय चलाया जा रहा है ।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३० पर)

बन्दी तथा मुक्तबन्दी सम्मेलन के प्रतिनिधियों के मुख्य सुझाव

बंदी तथा मुक्त बंदी सम्मेलन ने कुल ९६ सुझाव दिये हैं जिनमें मुख्य निम्नांकित हैं—

(१) कारागारों का नाम बदल कर सुधार गृह तथा सजा के स्थान पर सुधार का शब्द प्रयोग हो ।

(२) दैनिक आवश्यकता की चीजें तेल, साबुन, बीड़ी इत्यादि बंदियों को दी जांय ।

(३) बंदियों को एक लूंगी या बड़ी तौलिया दिया जाय ।

(४) बंदियों से मुलाकात का समय बढ़ाया जाय तथा एकान्त में बात करने का अवसर दिया जाय ।

(५) बर्तनों में तसला, कटोरी की जगह लोटा, थाली और कटोरी मिलना चाहिये ।

(६) कपड़ा धोने के लिये बजाय सज्जी के साबुन दिया जाय ।

(७) जेलों में पंचायत की स्थापना हो ।

(८) जेलों में मनोरंजन की सुविधायें बढ़ाई जायं ।

(९) बंदियों को नये उद्योग जैसे पशुपालन, अम्बर चर्खा, साबुन बनाना चिक बनाना, खिलौने बनाना, बर्तन बनाना इत्यादि उद्योग सिखाये जांय ।

(१०) एक दो शिविर के बजाय अनेक छोटे-बड़े शिविर खोले जांय जिनमें भिन्न-भिन्न प्रकार के उद्योग हों ।

(११) बंदियों को सुन्दर-सुन्दर पुस्तकें पढ़ने को दी जांय ।

(१२) बंदियों को शिविर में जेब खर्च के लिये दो आने से अधिक दिया जाय ।

(१३) नारी बंदियों को ललित कलायें तथा उपयोगी कलायें सिखाई जांय तथा उनको घर जाने की छुट्टी दी जाय ।

अनुबन्ध 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३२ पर)

प्रदेश के विभिन्न जिलों में १३६५ फसली की खरीफ की फसल के क्षति के सम्बन्ध में जो छूट अब तक दे दी गई है उसकी अनुसूची

क्रम-संख्या	जिले का नाम	दी गई छूट की धनराशि — मालगुजारी			लगान		
		रु०			रु०		
१	सहारनपुर	५,३९१	६	०	—		
२	मुजफ्फरनगर	४४,८१७	४	०	—		
३	मेरठ	२७,९९४	०	०	७५	१४	०
४	बुलन्दशहर	७४,१५३	११	०	—		
५	अलीगढ़	३,९४,०९४	६	०	११,१७५	२	०
६	मैनपुरी	६६,९७९	०	०	७३२	११	०
७	एटा	७०,३३४	३	०	४५२	१	०
८	बदायूं	१६४	८	०	—		
९	मुरादाबाद	६,२६,३३१	१३	०	९९६	४	०
१०	शाहजहांपुर	१९,०२२	१	०	—		
११	पीलीभीत	१०,१४७	१२	०	५८	९	०
१२	रामपुर	७८,०४३	५	०	८,४९७	४	०
१३	इटावा	१५,१४०	१२	०	२७१	११	०
१४	फतेहपुर	४३,२९०	१४	०	—		
१५	बांदा	७,५६,१८२	१	०	३,३६८	१४	०
१६	वाराणसी	९,१७,६७४	८	०	—		
१७	मिर्जापुर	६,८८,११७	२	०	४,४४६	६	०
१८	जौनपुर	१५,२१,३८२	१२	०	३०,२३१	८	०
१९	गाजीपुर	७,००,७८५	३	०	१,७७८	१४	०
२०	आजमगढ़	१३,६०,२३४	२	०	६,०६७	४	०
२१	देवरिया	२,९३,६४१	१२	०	२,२०६	०	०
२२	लखनऊ	५३,५८३	०	०	२,४०२	०	०
२३	सीतापुर	२,००,६८९	४	०	—		
२४	उन्नाव	२,११,५१५	४	०	—		
२५	रायबरेली	७०,१६३	८	०	—		
२६	खेरी	४५,६३०	४	०	—		
२७	नैनीताल	१,३१६	२	०	१०	२	०
२८	फैजाबाद	११,९४,११९	१२	०	२९,५५७	२	०
२९	बहराइच	२,९७,७६२	११	०	—		
३०	सुल्तानपुर	३,२२,७६०	१४	०	२४	०	०
३१	प्रतापगढ़	६,६६,९२०	१०	०	८,९९५	०	०
३२	गोंडा	१,१२,५२२	१०	०	३,०७४	११	०
३३	बाराबंकी	१,६६,४३५	३	०	११९	९	०
३४	बदायूं	१६४	८	०	—		
	योग ..	१,१०,५७,५०६	१	०	१,१४,५४०	१४	०

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६२–६३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३७ पर)

जिला बस्ती की नौगढ़ व बस्ती तहसील में ४–१–५८ से अब तक हुई अग्निकांड का विवरण

तहसील	ग्रामों के नाम	जले मकानों की संख्या	जीव हानि		हानि (रुपये में)	सहायता जो दी गई	
			मनुष्य	पशु		अहेतुक सहायता	तकावी
१	२	३	४	५	६	७	८
नौगढ़	१ अंतरी	२	..	..	१,४००	..	..
	२ महरेइया	१	..	..	७६५	..	..
	३ रामनगर	१	..	२	२५०	..	..
	४ चौराही	९	..	..	३,५५०	..	..
	५ हथवरताल	१	..	..	७००	..	..
	६ महदेवां बुजुर्ग	२	..	..	३४३	..	..
	७ मद मुस्तहकम	४	..	२	२००	..	..
	८ बिरदपुर नम्बर ३	२३	..	..	३,८१९	..	..
	९ तुरकौलिया	१	१	..	२५३	..	..
	१० कुदूरा ग्रान्ट	१	..	..	१२	..	..
	११ गईघाट	१	..	..	१०५	..	..
	१२ रेखालिया	५५	..	..	१,६४३	..	..
	१३ बुद्धपुर नं० १४	४	..	..	७२	..	..
	१४ करमहा	१	..	..	५९६	..	..
..	१५ छित्तरापार	४	..	..	८७७	..	..
..	१६ रामगढ़	६	..	..	१००	..	..
..	१७ बुद्धपुर नं० ५	३४	..	..	१७,१९७	१७०	..
..	१८ छितारापार	३	..	..	५५	..	..
..	१९ बुद्धपुर नं० १०	३४	..	..	६,६५४	..	..
	२० साकारी	४	..	..	७४०	..	..
	२१ परसाशाहआलम	१	..	..	१,५५०	..	..
..	२२ पलिया सिसवा	७	..	..	९८०	..	..
	२३ पिपरा	९	..	..	२,६००	..	..
..	२४ बुद्धपुर नं० १	६	..	..	१,४७७	..	..
..	२५ समरहुवा	२	..	..	२,१५०	..	..
..	२६ दुवांलिया	१	..	..	४०	..	..
..	२७ कलवारी	१	..	..	५००	..	..
..	२८ रमुवापुर	४४	..	..	४,२५४	..	..
..	२९ भगवानपुर	१	..	..	५०८	..	..
..	३० कोइलीघाट	८	..	..	१९०	..	..
..	३१ बुद्धपुर नं० ११	१५	..	..	४,६३३	..	..

तहसील	ग्रामों के नाम	जले मकानों की संख्या	जीव हानि		हानि (रुपये में)	सहयता जो दी गई	
			मनुष्य	पशु		अहेतुक सहायता	तकावी
१	२	३	४	५	६	७	८
	३२ सिसवां ग्रान्ट	१	..	..	८०५	..	..
	३३ सैयबोन ननकर	५	..	..	३,०५०	..	..
	३४ बुद्धपुर नं० ४	५	..	..	२,९९८	..	..
	३५ जहदीशपुर राजा	३	..	..	१,५०४	..	..
	३६ बरगदवा	२८	..	..	५,९२०	..	..
	३७ उसका राजा	१	..	..	१४९	..	..
	३८ महमूदवा ग्रान्ट	१	..	..	२७५	..	..
	३९ हरैया	९	..	..	१,२०४	..	..
	४० सिगिया	४	..	..	१,३६५	..	..
	४१ हथौल	२०	..	..	८,७३०	..	..
	४२ मौपुर उर्फ गुलारी	२९	..	..	२,९८५	..	..
	४३ सिसवां बुजुर्ग	२	..	..	४,७१८	..	..
	४४ रोमापार	१५	..	..	२,६३६	..	..
	४५ सीसवा बुजुर्ग	१	..	..	६०	..	..
	४६ बुद्धपुर नं० १३	१	..	..	१४९	..	..
	४७ मनकारा	१६	..	..	२,५४०	..	..
	योग ..	४२३	१	४	१,१३,२१७	१७०	..
बांसी	१ रुधौली कलां	२	१	..	१,६५०	२५	..
	२ बगरा	१	..	..	५२५	..	..
	३ रमहा	१	..	..	५७	१०	..
	४ करमा	१	..	..	२६१	२०	..
	५ सुनखर	१	..	..	१,८९४	..	..
	६ हरनी बुजुर्ग	१	..	..	१८६	..	..
	७ निटारी	२	..	..	२५३	..	..
	८ गनवरिया	३	..	..	७०५	..	..
	९ मिधवल कलां	१	..	..	४२ –८	..	१,४९५
	१० बधौली	१	..	..	२६०	..	..
	११ बरहया	९	..	..	३,८००	५०	..
	१२ छैहरवा	३	..	..	१५०	..	१०५
	१३ अरपा	१	..	..	१००	१०	..
	१४ गौड़ारी	..	..	..	५,४००	..	३०
	१५ मलगौवा	१	..	..	२८३	..	..
	१६ मसीना साख	१४	..	..	७१०	..	..
	१७ पिपरा	१	..	..	२,१२३	..	..
	अउवल						

तहसील	ग्रामों के नाम	जले मकानों की संख्या	जीव हानि		हानि (रुपये)	सहायता जो दी गई	
			मनुष्य	पशु		अहेतुक सहायता	तकावी
१	२	३	४	५	६	७	८
	१८ अमर दोभा	१	..	..	१५०	१०	..
	१९ भगवतपुर	१	..	..	६१९	..	२०
	२० रमुवापुर	१	..	..	६३	..	२०
	२१ सुरवर खुर्द	२	..	..	२१७	५	..
	२२ गानहा	७	..	..	३,८७५	..	..
	२३ बुनवर भनत	४	..	..	३,२१५	..	..
	२४ ताल चोरई	४	..	..	१,०००	१५	..
	२५ समोहगृह	८	..	..	२१५	..	..
	२६ बेलवा लधुनाही	१२	..	..	४,२३०	२५	..
	२७ करही मसजी-दीया	३	..	..	१००	..	..
	२८ उरवा कुदई जोत	११	..	..	१,८००	..	..
	२९ महनुआ	१०	..	..	११,८००	..	..
	३० अजदोह	१	..	..	२००	..	..
	३१ सिमरा कलां	२५	..	..	९,५६१	..	९१५
	३२ कटसरिया खुर्द	६	..	..	३९०	..	..
	३३ बगवाकोमर	१	१	..	२,०००	..	१००
	३४ अमरगढ़	३	..	..	३००	..	..
	३५ प्रतापपुर	१	..	..	५०५	..	१५०
	३६ फतेहपुर	७	..	..	१,५८०	..	..
	३७ गौरा	२	..	..	२७०	..	..
	३८ जमानी लाल	३	..	..	१२५	१०	..
	योग ..	१५४	२	..	५७,७४४ –८	१९०	३,०४५

विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३७ पर)

जिला उन्नाव के ग्रामों में आग लगने से दी गई सरकारी सहायता का विवरण।

(प्रश्न संख्या ६५ से सम्बन्धित)

ग्राम-संख्या	तहसील	ग्रामों का नाम जिनमें सहायता दी गई	दी गई सहायता	
			अहेतुक सहायता (रुपये में)	तकावी (रुपये में)
१	उन्नाव ..	रौतापुर ..	..	१,०००
		दूधौरा ..	२२६	..
		भदीना खेरा ..	१५०	..
		तौरा ..	१	..
		पदरी कलां ..	२५	..
		अवस्थी खेरा ..	२०	..
		समभर खेरा ..	२३५	५००
		मंगल पुरवा ..	२००	..
		लालता खेरा ..	२४०	..
		योग ..	१,०९६	१,५००
२	हसनगंज ..	ऊंचा गांव ..	२००	८४०
		अदमपुर तहटोली ..	..	१,१८०
		अदमपुर फैजउल्लाह ..	१६०	..
		निजामपुर पचगहना ..	१००	१,१००
		केशोपुर ..	७५	८३०
		पटकापुर ..	१२०	५००
		योग ..	६५५	४,४५०
३	सफीपुर ..	अमीरपुर गमबीरपुर ..	४२	..
		खमभौली ..	१६०	..
		कबीरपुर ..	४८	..
		महमूदपुर ..	३००	..
		नैनीखेरा ..	१२५	..
		योग ..	६७५	..
४	पुरवा ..	मुलाहिनपुर ..	..	८००
		कोदरा ..	२६५	..
		चमयानी ..	..	५००
		अनवरपुर ..	..	३००
		लालगंज ..	..	२७५

क्रम-संख्या	तहसील	ग्रामों का नाम जिनमें सहायता दी गई		दी गई सहायता	
				अहेतुक सहायता (रुपये में)	तकावी (रुपये में)
४	पुरवा (क्रमशः)	.. समाधा	..	८०	—
		बेहटा भवानी	..	३०	८५०
		इसलामनगर	..	—	१,५२५
		घाटमपुर खुर्द	..	१५०	—
		महरामऊ	..	२०	
		भटमऊ	..	१५	
		योग	..	५६०	४,२५०
		कुल योग	..	२,९८६	१०,२००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४१ पर)

तालिका

क्रम-संख्या	मिल का नाम	बोनस की वास्तविक धनराशि जो भुगतान की गई
१	२	३
		रु०
१	एल० के० शुगर मिल, सहारनपुर	१,७१,६००.००
२	अमृतसर शुगर मिल्स, रोहानाकलां	१,५३,५९३.७०
३	मोदी शुगर मिल्स, मोदीनगर	१,०४,२००.००
४	सिम्बोली शुगर मिल्स, सिम्बोली	२,७१,८१५.६०
५	दौराला शुगर वर्क्स, दौराला	१,७१,६००.००
६	गंगा शुगर कार्पोरेशन लि०, देवबन्द	१,४०,६७५.००
७	महालक्ष्मी शुगर मिल्स, इकबालपुर, सहारनपुर ..	१६,४५२.५४
८	श्री जानकी शुगर मिल्स, दोईवाला	३०,७००.००
९	राम लक्ष्मण शुगर मिल्स, मोहीउद्दीनपुर	८४,८२३.००
१०	अपर द्वाब शुगर मिल्स, शामली	२,३१,९२५.००
११	आर० बी० नारायण सिंह शुगर मिल्स, लक्सर ..	१,१०,७६३.७३
१२	सर शादी लाल शुगर ऐण्ड जनरल मिल्स, मनसूरपुर ..	२,५९,७००.००
१३	अपर हण्डिया शुगर मिल्स, खतौली	१,७५,५००.००
१४	जसवन्त शुगर मिल्स, मेरठ	१,६८,०००.००
१५	पन्नीजी शुगर ऐण्ड जनरल मिल्स, बुलन्दशहर ..	१,५४,७७२.७५
१६	बुलंद रजा शुगर को० लि०, रजा फैक्टरी, रामपुर ..	१,५६,४८३.७६
१७	बुलंद रजा शुगर को० लि०, बुलंद फैक्टरी, रामपुर ..	१,५३,००८.३८
१८	कुन्दन शुगर मिल्स, अमरोहा, मुरादाबाद ..	२,१४,५००.००
१९	अपर गैंजेज शुगर मिल्स, शिवहारा	३,०८,४१३.००
२०	अयोध्या शुगर मिल्स, राजा का साहसपुर ..	१,७७,९८८.७४
२१	एस० बी० शुगर मिल्स लि०, बिजनौर	१,५०,०२१.४३
२२	एच० आर० शुगर फैक्ट्री, बरेली	१,०९,४४४.२७
२३	केशर शुगर वर्क्स लि०, बहेड़ी	२,२२,२९६.८८
२४	एल० एच० शुगर फैक्ट्रीज एण्ड आयल मिल्स, को० लि०, पीलीभीत	२,२८,७५३.३६
२५	एल० एच० शुगर फैक्ट्रीज ऐन्ड आयल मिल्स, काशीपुर, नैनीताल	५१,३००.००
२६	के० ऐण्ड क०, रोजा	९५,५९७.८५
२७	रत्ना शुगर मिल्स प्राइवेट लि०, शाहगंज, जौनपुर ..	३९,५००.००
२८	दी अवध शुगर मिल्स, हरगांव	३,३२,८३८.७६
२९	दी लक्ष्मी शुगर मिल्स, महोली	१,७८,९००.००
३०	दी गोविन्द शुगर मिल्स, ऐरा	५०,२७३.००
३१	लक्ष्मी शुगर ऐण्ड आयल मिल्स, हरदोई	२,०९,१९६.२७
	योग ..	४९,२४,६३७.०२

क्रम-संख्या	मिल का नाम		बोनस की वास्तविक धनराशि जो भुगतान की गई
१	२		३
			रु०
३२	सकसरिया बिसवा शुगर फैक्ट्री, बिसवां	..	७७,५७७.२४
३३	रामचन्द्र ऐण्ड सन्स शुगर मिल्स, बाराबंकी	..	८६,६४९.८८
३४	दी बुढ़वल शुगर मिल्स, बुढ़वल	..	४१,०२२.६१
३५	हिन्दुस्तान शुगर मिल्स, गोला	..	३,९०,५११.६७
३६	डाइमन्ड शुगर मिल्स, पिपराइच, गोरखपुर	..	४०,५२६.६८
३७	कानपुर शुगर वर्क्स लि०, गौरीबाजार, देवरिया	..	३३,९९७.९४
३८	शंकर शुगर मिल्स, कैप्टन गंज, देवरिया	..	४३,१९७.५५
३९	यू० पी० शुगर को० लि०, सिवराही (देवरिया)	..	४१,५८३.४४
४०	बस्ती शुगर मिल्स को० लि०, बस्ती	..	४३,०००.००
४१	बस्ती शुगर मि० लि०, बालटरगंज, बस्ती	..	३९,२२७.६२
४२	नवाबगंज शुगर मि० लि०, नवाबगंज, गोंडा	..	७३,६७२.९७
४३	बलरामपुर शुगर को० लि०, तुलसीपुर (गोंडा)	..	८१,०००.००
४४	सकसरिया शुगर मि० लि० बभनान गोंडा।	..	३४,२०६.२३
४५	परताबपुर शुगर फैक्ट्री, मैरवा, देवरिया	..	३८,८००.००
४६	रामकोला शुगर मि० लि०, रामकोला, देवरिया	..	९०,०८३.००
	योग	..	६०,७९,६९३.८५

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४२ पर)

सूची

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम	वारदातों की संख्या	सहायता जो दी गई	
			अहेतुक सहायता	तकावी
१	बहादुरपुर	..	२	५८	..
२	मुकदपुर	..	१	१०	..
३	सिमरा शेखपुर	..	१	४०	..
४	कोलहनपुर	..	१	१८५	८७५
५	माहगुपुर	..	१	५९	..
६	कोलोनेलगंज	..	१	२७	..
७	सुसैला	..	१	५	..
८	लिलोई कलां	..	१	१५	४००
९	पारस पट्टी	..	१	२२	२५०
१०	रामापुर पुरी इलाही	..	१	५	..
११	गडसर	..	१	१०	..
	योग	..	१२	४३६	१,५२५

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१४० एल० ए०—१९५८—८३७ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा